हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 अक्तूबर, 2002

खण्ड–3, अंक–1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 30 अक्तूबर, 2002

पृश्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)11
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)29

स्थगत प्रस्तावों की सूचनाएं	(1)33
ध्यानाकर्शण प्रस्तावों की सूचनाएं	(1)35
अल्प अवधि चर्चा की सूचनाएं	(1)36
स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)	
वाक आउट्स	(1)45
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
राज्य में विशेशकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान न खरीदने संबंधी	(1)50
वक्तव्य –	
उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा	
वाक आउट	
वक्तव्य –	
उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा (पुनरारम्भ)	
वाक आउट	
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	

घोशणाएं –	
(क) उपाध्यक्ष द्वारा	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूचि	
(ii) याचिका समिति	
(ख) सचिव द्वारा	
(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी बिजनैस एडवाजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र विशेशाधिकार मामलों के संबंध में विशेशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	
(i) श्री जय प्रकाश बरवाला एम.एल.ए. के विरूद्ध	
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम.एल.ए. के विरूद्ध	
(iii) कैप्टल अजय सिंह यादय, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम.एल.एज. के विरूद्ध	
(iv) श्री रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरूद्ध	
विधान कार्य –	

(1) दि हरियाणा म्युनिसिपल (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002	(1)81
(2) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002	(1)83
(3) दि पंजाब पेसेंजर्ज एंड गुडज टैक्सेशन (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002	(1)87
(4) दि हरियाणा सिविल सर्विसिज (एग्जैक्टिव ब्रांच) एंड अलाइड सर्विसिज एवं अदर सर्विसिज कौमन/कंबाईड एग्जामिनेशन (अमैडमैंट) बिल, 2002	(1)88
(5) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2002	(1)90
(6) दि पब्लिक गैम्बलिंग (हरियाणा अमैंडमैट) बिल, 2002	(1)92
(7) दि हरियाणा कैसिनो (लाईसैंस एंड कंट्रोल) बिल, 2002	(1)94

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 30 अक्तूबर, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब ऑबिचुरी रैफरैंसिज होंगें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच के अर्से में हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ देशभक्त और कुछ विधायकों के रिश्तेदार इत्यादि इस संसार से चले गए। उन लोगों की आत्मा की शान्ति के लिए यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्तवन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैः–

1. श्री बनवारी लाल, गांव खरावड, जिला रोहतक

2. श्री दीवानचन्द भाटिया, पानीपत

3. श्री मंताराम, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव

4. श्री भूरा सिंह, गांव नवादा फतेह, जिला गुड़गांव

5. श्री शुभराम, गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव

6. श्री फूलाराम श्योकंद, गांव डूमरखां कलां, जिला जींद

7. चौ. श्योकरण जाखड़, गांव कुम्हारिया, जिला फतेहाबाद

8. कामरेड चानन दास, फतेहाबाद

9. श्री प्रभु दयाल, गांव लुला अहीर, जिला रिवाड़ी

10. श्री मीत सिंह, गांव भट्ट माजरा, जिला कुरूक्षेत्र

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के

लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़के हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैः—

1. मेजर राजीव दहिया, जींद

2. मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बजघेड़ा, जिला गुड़गांव

3. सब—इंसपैक्टर भगत सिंह, गांव बावल, जिला रिवाड़ी

4. सूबेदार अनूप सिंह, गांव जाटवास, जिला महेन्द्रगढ़

5. सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़

6. हवलदार महाबीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी

7. हवलदार इन्द्रसिंह, गांव पुरखास धीरान, जिला सोनीपत

8. नायक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी

9. लास नायक प्रमोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर

10. राईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर

11. सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, जिला हिसार

12. ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाडली, जिला झज्जर

13. सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला करनाल

14. सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी

15. सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदौल, जिला हिसार

16. सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव पाली, जिला रिवाड़ी

17. सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर

18. सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर

19. सिपाही रामफल, गांव जखाला, जिला रिवाड़ी

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

दुलीना में उग्र भीड़ द्वारा मारे गये लोग

यह सदन 15 अक्तूबर, 2002 को झज्जर जिला के दुलीनाप गांव में उग्र भीड़ द्वारा मारे गये पांच व्यक्तियों के दु:खद निधन पर गहना शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोग

यह सदन के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में 24 सितम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों के दुखद व असामाजिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू–कश्मीर और असम में आतंकवादी हमलों में मारे गये लोग

यह सदन जम्मू–कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान और असम में 27 अक्तूबर, 2002 को आतंकवादी हमलों में मारे गये निर्दोश लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

लखनऊ में भगदड़ में मारे गए लोग

यह सदन 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुखद व असामाजिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल दुर्घटना (बिहार)

यह सदन 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीरंग स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दुखद व असामाजिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इण्डोनेशिया और रूल में आंतकवादी हमलों में मारे गए लोग

यह सदन 12 अक्तूबर, 2002 को बाली, इण्डोनेशिया में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों और अक्तूबर, 2002

के चौथे सप्ताह में रूस में मास्को के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा मारे गये निर्दोश बन्धकों के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सामान्य–श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री दरियाव सिंह एम.एल.ए.

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य की दरियाव सिंह रजौरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः (किलोई): अध्यक्ष महोदय, आज जो हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजंली दे रहे हैं, यह पीढ़ी एक–एक करके हमारे से जा रही है, जिन्होंने हमें स्वतंत्र करवाया। आज हमारे बीच में 10 स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं –श्री बनवारी लाल, गांव खरावड़ जिला रोहतक, श्री दीवानचन्द भाटिया, पानीपत, श्री

मंतराम, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव, श्री भूरा सिंह, गांव नवादा फतेह, जिला गुड़गांव, श्री शुभराम, गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव, श्री फूलाराम श्योकंद, गांव डूमरखां कलां, जिला जीन्द, चौ. श्योकरण जाखड़, गांव कुम्हारिया, जिला फतेहाबाद, कामरेड चाननदास, फतेहाबाद, श्री प्रभु दयाल, गांव लुला अहीर, जिला रिवाड़ी और श्री मीत सिंह, गांव भट्ट माजरा, जिला कुरूक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रूपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकतस और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

उन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं – मेजर राजीव दहिया, जींद, मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बडघेड़ा, जिला गुड़गांव सब इंस्पैक्टर भगत सिंह, गांव बावल, जिला रिवाड़ी, सूबेदार अनूप सिंह गांव जाटवास, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार महाबीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी, हवलदार

इन्द्रसिंह, गांव पुरखास धीरान, जिला सोनीपत, नायक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी, लास नायक प्रमोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर, राईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर, सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, जिला हिसार, ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाडली, जिला झज्जर, सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला करनाल, सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी, सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदौल, जिला हिसार, सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव पाली, जिला रिवाड़ी, सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर, सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर, सिपाही रामफल, गांव जखाला, जिला रिवाड़ी। इसके अतिरिक्त जो सैनिक शहीद हो गये ओर उनके बारे में बाद में पता चला हो उनके नाम भी इस सूची में शामिल कर लिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 15 अक्तूबर, 2002 को झज्जर जिला के दुलीना गांव में उग्र भीड़ द्वारा मारे गए पांच व्यक्तियों के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में 24 सितम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान और असम में 27 अक्तूबर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के

कारण मारे गये यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 12 अक्तूबर, 2002 को बाली, इण्डोनेशिया में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों और अक्तूबर, 2002 के चौथे सप्ताह में रूस में मास्कों के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा मारे गये निर्दोश बन्धकों के दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह रजौरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरह से और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री कृश्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं अपनी पार्टी को शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं –श्री बनवारी लाल, गांव खरावड़ जिला रोहतक, श्री दीवानचन्द भाटिया, पानीपत, श्री मंतराम, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव, श्री भूरा सिंह, गांव नवादा फतेह, जिला गुड़गांव, श्री शुभराम, गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव, श्री फूलाराम श्योकंद, गांव डूमरखां कलां, जिला जीन्द, चौ. श्योकरण जाखड़, गांव कुम्हारिया, जिला फतेहाबाद, कामरेड चाननदास, फतेहाबाद, श्री प्रभु दयाल, गांव लुला अहीर, जिला रिवाड़ी और श्री मीत सिंह, गांव भट्ट माजरा, जिला कुरूक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रूपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकतस और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

उन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं – मेजर राजीव दहिया, जींद, मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बडघेड़ा,

जिला गुड़गांव सब इंस्पैक्टर भगत सिंह, गांव बावल, जिला रिवाड़ी, सूबेदार अनूप सिंह गांव जाटवास, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार महाबीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी, हवलदार इन्द्रसिंह, गांव पुरखास धीरान, जिला सोनीपत, नायक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी, लास नायक प्रमोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर, राईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर, सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, जिला हिसार, ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाडली, जिला झज्जर, सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला करनाल, सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी, सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदौल, जिला हिसार, सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव पाली, जिला रिवाड़ी, सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर, सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर, सिपाही रामफल, गांव जखाला, जिला रिवाड़ी। इसके अतिरिक्त जो सैनिक शहीद हो गये ओर उनके बारे में बाद में पता चला हो उनके नाम भी इस सूची में शामिल कर लिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 15 अक्तूबर, 2002 को झज्जर जिला के दुलीना गांव में उग्र भीड़ द्वारा मारे गए पांच व्यक्तियों के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में 24 सितम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान और असम में 27 अक्तूबर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम मानवता के विरूद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 12 अक्तूबर, 2002 को बाली, इण्डोनेशिया में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों और अक्तूबर, 2002 के चौथे सप्ताह में रूस में मास्कों के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा मारे गये निर्दोश बन्धकों के दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह रजौरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरह से और

अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

चौ. बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक–प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक एक करके जा रहे हैं और कुछ सालों में एक भी न रहे। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं –श्री बनवारी लाल, गांव खरावड़ जिला रोहतक, श्री दीवानचन्द भाटिया, पानीपत, श्री मंतराम, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव, श्री भूरा सिंह, गांव नवादा फतेह, जिला गुड़गांव, श्री शुभराम, गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव, श्री फूलाराम श्योकंद, गांव डूमरखां कलां, जिला जीन्द, चौ. श्योकरण जाखड़, गांव कुम्हारिया, जिला फतेहाबाद, कामरेड चाननदास, फतेहाबाद, श्री प्रभु दयाल, गांव लुला अहीर, जिला रिवाड़ी और श्री मीत सिंह, गांव भट्ट माजरा, जिला कुरूक्षेत्र। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सेनानी जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आतंकवादियों द्वारा मारे गए। हर हफ्ते प्रदेश में एक लाश आ जाती है इसमें मेजर राजीव दहिया, जींद, मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बडघेड़ा, जिला गुड़गांव सब

इंस्पैक्टर भगत सिंह, गांव बावल, जिला रिवाड़ी, सूबेदार अनूप सिंह गांव जाटवास, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार महाबीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी, हवलदार इन्द्रसिंह, गांव पुरखास धीरान, जिला सोनीपत, नायक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी, लास नायक प्रमोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर, राईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर, सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, जिला हिसार, ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाडली, जिला झज्जर, सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला करनाल, सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी, सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदौल, जिला हिसार, सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव पाली, जिला रिवाड़ी, सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर, सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर, सिपाही रामफल, गांव जखाला, जिला रिवाड़ी।

अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव संख्या तीन में दुलीना में उग्र भीड़ द्वारा मारे गए पांच लोगों की दर्दनाक हत्या। अब वे भीड़ ने मारे हैं या किसी और ने मारे हैं यह तो आगे जाकर बात साफ होगी। इससे हमारा प्रदेश बदनाम होता है, पूरे देश में इसका बुरा असर पड़ता है। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी,

मैं यह कहूंगा कि इसमें फौरी तौर से कार्यवाही होनी चाहिए। खाली कमिश्नर की इन्क्वायरी से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अक्षरधाम मन्दिर में आतकवादी हमलें में मारे गए लोग, जम्मू कश्मीर और असम में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोग, लखनऊ के चारबाग रेलवे–स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों और बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए लोग, इण्डोनेशिया और रूस में आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोश लोग, इन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी जो शोक प्रस्ताव लाए हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नाम नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, इन शोक प्रस्ताओं में एक और नाम नहीं आया है जिसके बाद में मैं सदन को बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अभी आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी इस बारे में बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इन शोक प्रस्तावों में एक और नाम ऐड कर लिया जाए। हैड कांस्टेबल ऋशिराज, गांव सौन्ध, जिला फरीदाबाद जोकि राजौरी क्षेत्र में तैनात था, उसको आतंकवादियों की दिनांक दो अक्तूबर को आठ गोलियां लगीं और 9 अक्तूबर को उसका देहावसान हो गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक हे, यह नाम भी शोक प्रस्तावों में जोड़ लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, वह शहीद हरिजन परिवार का था। मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: शहीद तो शहीद होता है इसमें हरिजन की कोई बात नहीं है। आप बैठिए आपको बोलने का बाद में मौका मिलेगा। अब डिप्टी स्पीकर साहब, बोलेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री गोपीचन्द गहलौत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो आज हाउस में शोक प्रस्ताव रखा है उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गयी है। मैं भी अपनी भावनाएं इसके साथ जोड़ते हुए केवल यही कहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के शोक प्रस्ताव न. 5 पर श्री शुभराम के गांव का जो नाम नाहरपुर रूपका दिया गया है वह सही नहीं है इनके गांव का नाम नाहरपुर रूपा है इसएिल

मैं चाहूंगा कि यह गांव का नाम करैक्टर कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक–एक करके यह पीढ़ी हामरे बीच मसे जा रही है उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद इस तरह की महान आत्माएं हमारे बीच में रहेंगी ही नहीं। यह आज का जो दिन है यह उन्हीं की देन है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मां भारती की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में जो महान शहीद अपना बलिदान दे रहे हैं वे भी कोई कम बात नहीं है कोई दिन ही ऐसा जाता होगा जब हरियाणा के किसी सपूत का नाम न आता हो। वैसे तो इस तरह के सभी नाम ज्ञात हैं लेकिन अगर किसी शहीद का नाम ज्ञात न हो तो उनको भी मैं अपनी संवेदना देना चाहूंगा। इसके बाद मैं शोक प्रस्ताव न. 3 के बारे मैं कहना चाहूंगा। इसमें जो पांच व्यक्तियों का दुखद निधन हुआ वास्ताव में यह किसी की हत्या नहीं है बल्कि यह मानवता की हत्या है इसलिए इसकी सभी को बड़ी सख्त निन्दा करते हुए संवेदना प्रकट करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये निर्दोश लोगों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जो यह हत्याकांड 24 सितम्बर, 2002 को हुआ इसका चारों तरफ बड़ा असर पड़ा और सभी ने इसके प्रति अपना दुख प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवादियों को मारने के लिए बाद में वहां पर मानेसर से एन.एस.सी. के कमान्डो भेजे गये थे। इन कमांडों में से दो कमांडो जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनमें

से एक सुरेश यादव था जो कि कोटपुतली का रहने वाला था तथा मानेसर में कार्यरत था। हमें इनको भी श्रद्धांजलि देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है यह नाम भी शोक प्रस्ताव में जोड़ लिए जाएं।

श्री गोपी चन्द गहलोत: अध्यक्ष महोदय, एक कमाण्डों तो आज भी मौत से लड़ रहा है। हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी ठीक होकर देश की सेवा करे। इनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जम्मू कश्मीर एवं असम में आतंकवादी हमलों में जो भी लोग मारे गये हैं उनको भी यह हाउस संवेदना प्रकट करता है। इसी प्रकार से लखनऊ में भगदड़ में जो लोग मारे गये हैं उसका भी हम सबको बहुत दुख हुआ है। यह सदन भी इस शोक में शामिल है। इसी तरह से 9 सितम्बर, 2002 को बिहार को बिहार के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर जो दुखद दुर्घटना हुई उसमें काफी यात्रियों का निधन हुआ। इनके प्रति भी हाउस गहरा शोक प्रकट करता है। इसी प्रेकार से शोक प्रस्ताव संख्या 8 में इंडोनेशिया एवं रूस में आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों का जिक्र किया गया है। इससे यह साबित होता है कि आतंकवादी कहीं पर अपना भयानक रूप दिखा सकता है। भारत तो इस बारे में पहले से ही कहता रहा है। आतंकवाद ने अमरीका और रूस जैसे देशों को भी नहीं बख्शा है। इसकी पूरी विश्व

जितने सख्त शब्दों में निन्दा करे उतना ही कम है। जो निर्दोश बन्धक मारे गये हैं उनके प्रति भी पूरे हाउस की हमदर्दी है। हम सब उन मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। इसी प्रकार शोक प्रस्ताव संख्या 9 की बात है। इसमें हमारे माननीय सदस्य दरियाव सिंह की धर्मपत्नी के अकस्मात निधन के बारे में कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, होस्पीटल में डाक्टर पूरी तरह से उनको इलाज भी नहीं कर पाए थे कि उससे पहले उनको दिन का दौरा पड़ा ओर उसके प्राण निकल गए। यह सारा हाउस श्रीमती गोमति देवी के निधन पर शोक प्रकट करता है। हमारे हाउस के सम्मानित सदस्य और हमारे कैबिनेट के मंत्री श्री मौहम्मद इलियास जी के समधी चौ. सरदार मौहम्मद जी हमारे क्षेत्र के असरदार व्यक्ति थे। उनका भी निधन हुआ है मैं यह चाहूंगा कि उनके निधन पर भी यह हाउस शोक प्रकट करे और उनका नाम इसमें शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है यह नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव हाउस मे रखे है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जहो विचार प्रकट लिए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत से लोग चले गए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करना चाहूंगा जिनका देश की आजादी की लड़ाई में दिये गये बहुमूल्य योगदान का हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। इन महान

स्वतंत्रता सेनानियों के अनथक परिश्रम का ही फल था कि हमें आजादी मिली। मैं इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपने चरणों में स्थानर दें।

हरियाणा के वीर सैनिकों के शहीद होने पर मुझे गहरा दुख है। इन वीर सैनिकों के बलिदान से ही हमारी स्वतंत्रता कायम है और कोई भी देश वीर सैनिकों के बलिदान को भुला नहीं सकता। इन सभी वीर सैनिकों जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिये हैं, की शहादत पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी वीर सैनिकों के परिवारों के साथ मुझे गहरी सहानुभूति है।

दुलीना गांव में उग्र भीड़ द्वारा पांच दलित वर्ग के लोगों के दुखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। यह घृणित कार्य कुछ लोगों की नासमझी का ही नतीजा है और ऐसे लोगों के कार्य से समाज में एकता ओर अखण्डता को किसी भी हालत में कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इन मारे गये पांच लोगों के परिवारों के साथ मुझे गहरी सहानुभूति है और इन लोगों के निधन पर मुझे गहरा शोक है।

गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमले में, जम्मू कश्मीर में हाल ही में मारे गऐ लोगों और असम में 27 अक्तूबर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोश लोगों व

इण्डोनेशिया और रूस में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। आतंकवादी की जितनी भी निन्दा की जाए, उतनी ही कम है। आतंकवादी के निर्दोश और असहाय लोग ही शिकार होते है। निसन्देह यह आतंकवाद मानवता के विरूद्ध एक घृणित कार्य है।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों और बिहार में रफीगंज बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। अन्त में मैं हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह राजौरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन की सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल–जबाव होंगे।

Sarkar Apke Dwar Programme-Phase-III

***1232. Sh. Balbir Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether the programme "Sarkar Apke Dwar' Phase-III has been started; and

(b) if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद इस कार्यक्रम का तृतीय चरण 2 अक्तूबर 2002 से आरम्भ किया गया है। राज्य के सत्रह जिलों की एक–एक विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया गया है और जिला जीन्द एंव सिरसा में शीघ्र दौरा किया जायेगा। विभिन्न विकास कार्यो की स्कीमों से सम्बन्धित 3200 से अधिक घोशणायें की जा चुकी हैं।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से पूछना चाहूंगा कि सरकार आपने द्वारा कार्यक्रम के पहले चरण में कितनी घोशणाएं की गई, दूसरे चरण में कितनी घोशणाएं की गई और कितनी घोशणाओं पर कार्य पूरा हो चुका

है और कितनी घोशणाएं अधूरी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अभी कार्य शुरू भी नहीं किया गया है। कृपा बतायें।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में एक नये युग का सूत्रपात सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर क्षेत्र में जाकर गांव के लोगों से उनके गांव की कठिनाइयों के बारे में पूछा और मौके पर ही उन्हें दूर करने का एलान किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले चरण में 15355 अनाउंसमैंट हुई जिनमें से 12244 अनाउंसमैंट पूरी कर दी गई जोकि 80 प्रतिशत के बराबर हैं, 2010 अनाउंसमैंअ पर कार्य प्रगति पर है जिन पर काम चालू है और 152 अनाउंसमैंट पैंडिग हैं जिनके एस्टिमेट वगैरह बन रहे है। दूसरे चरण में 17840 अनाउंसमैंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं उनमें से 7099 पूरी कर दी गई हैं और 7333 पर काम चल रहा है और 2247 के एस्टिमेट वगैरह बन रहे हैं। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय चरण में जो एनाउंसमैंट हुई हैं वे अपने आप में एक एतिहासिक अनाउंसमैंट हैं। कुल अनाउंसमैंट 32245 हुई जिनमें से 19343 पूरी कर ली गई हैं और 19343 पूरी कर ली गई हैं और 9343 पर काम जारी है जो कुछ मिलाकर 88 से 89 प्रतिशत के लगभग हैं जो पूरा कर लिया गया है।

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर सर, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि क्या तोशाम कान्सिटच्यूएंसी भी हरियाणा में है, अगर है तो वहां पर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम

के प्रथम और द्वितीय चरण में क्या मुख्यमंत्री जी तोशाम की तरफ गये हैं?

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, तोशाम हल्के की बहुत सी पंचायतें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुढाल में आकर मिलीं और बहुत सी पंचायतें भिवानी में आकर मिली और उन पंचायतों की डिमांड की अनाउसमैंट वहीं पर कर दी गई।

Construction of Railway Bridge

***1196. Sh. Jai Parkash Gupta**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Railway Bridge on the Ram Nagar-Kachawa Road in Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid propoal is likely to be materialized?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) और (ख) इस रेलवे ऊपरी पुल की तकनीकी सम्भाव्यता एवम् आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

श्री जय प्रकाश गुप्ता: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस पुल के बारे में उन्होंने अभी–अभी अन्देशा जाहिर सिकी है कि उसकी जांच पड़ताल हो रही है। पिछले महीने माननीय

मुख्यमंत्री जी करनाल में गये थे और वहां पर वे अनाउंसमैंट करके आये थे कि यह पुल जल्दी ही तैयार हो जायेगा और इस पुल का जो खर्चा होगा उसका आधा खर्चा रेलवे विभाग वहन करेगा और आधा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, क्या यह बात सही है? दूसरी बात क्या रेलवे विभाग ने इस बारे में अपनी सहमति आपको पहले प्रदान कर दी है इस बारे में क्या आपको उन्होंने कोई लैटर लिखा है इस बारे में बताने का कश्ट करें?

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह ठीक है कि 1995 मे इस पुल की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मिली थी लेकिन 1998 में उस एप्रूवल को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार से ये पूछना चाहते हैं क्या रेलवे अथोरिटी ने इस पुल की मंजूरी दी थी तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हां, रेलवे ने वर्श 2001–2002 के अपने वर्क प्लान में इसको रखा था और जैसा मैंने इनको बताया इसके लिए हमने सर्वे किया। लेकिन इसके नजदीक आधे पौने किलोमीटर की दूरी पर एक पूल है और यदि हम इस रामनगर–काछवा रेलवे पुल को बी.ओ.टी. लैवल पर बनाएंगे तो लोग पथकर देने की बजाय मुफ्त वाले पुल पर जाना शुरू कर देंगे। वैसे इस पुल के बारे में गहन अध्ययन किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय के नोटिस में लाना चाहूंगा जब से डबल रेलवे लाइन बिछाई गई है और बिजली की ट्रेने चलना शुरू हुई

है, यह फाटक 24 घटों में से 16 घंटे बन्द रहता है। इस पुल से देहात का बहुत ज्यादा किसान आता जाता है और शहर का एक तिहाई एरिया इस लाइन पार है। रोज इस फाटक पर कोई न कोई हादसा होता है और कोई न कोई मौत हो जाती है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री महोदय से इस पुल के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने मान भी लिया था कि अगर रेलवे विभाग इस पर पैसा खर्च नहीं करेगा तो हम सारा पैसा खर्च करके इस पुल को बनाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो रोड कैथल को जाता है उस पर जो पुल है उसकी कंडीशंज और हैं लेकिन यह पुल बहुत जरूरी है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाए।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इस पुल के लिए लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने तत्काल कार्यवाही करके इसके सर्वे के आदेश कर दिए थे इसलिए यह पुल विचारार्थ है।

श्री उदयभान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी. पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि रेलवे विभाग के साथ सहयोग करके हरियाणा प्रदेश की सरकार कौन कौन से पुल बनाने जा रही है, क्या सी.पी.एस. महोदय उनका विवरण देंगे और बताएंगे कि उनमें पलवल का कोई पुल शामिल है?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद का बाटा पुल फाइनल हो गया है और कुरूक्षेत्र के पुल का काम टाई अप हो गया है और काम शुरू होने वाला है। 17 पुलों के ऊपर विचार किया जा रहा है जिनमें से 10 पुलों के ऊपर प्राथमिकता के आधार पर विचार चल रहा है। इन पुलों के लिए रेलवे विभाग के साथ टाई अप किया जा रहा है और क्यों ही उनके साथ कार्यवाही ओ.के. हो जायेगी, इन पुलों के बारे में विचार किया जाएगी।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 25 सितम्बर को केन्द्रीय रेलवे मंत्री ने पब्लिकली घोशणा की है कि जहां कभी भी हरियाणा सरकार रेलवे पुल बनाने के लिए हमसे अनुरोध करेगी, हम उनको 50 परसैंट पैसा रेलवे विभाग की तरफ से देंगे। इनको आधार मानकार 17 प्वायंटस उनके नोटिस में लाए गए हैं, बाकी का सर्वे कर रहे हैं। जो–जो पुल इस लायक होंगे, उन पर पूरी तरह से हम काम शुरू करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1227

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री निशान सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।

Dental Chairs

***1203. Sh. Bhag Singh Chhattar**: Will the Minister of State for Health be pleased to state whether the Government has given any contract to any Company/Institution for the maintenacne of Dental Chairs provided in Government Hospitals and Primary Health Centres, in the State; if so, the details thereof together with the number of chairs amongst them are in working condition at present?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा.एम.एल.रगां): जी नहीं।

डा. सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एट प्रैजैंट हरियाणा में डैंटल चेयर्स कितनी हैं और उनमें से कितनी वर्किंग कंडीशन में हैं क्योंकि इसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए मंत्री जी कृपया इसके बारे में बताएं। जैसा कि मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब नहीं में दिया है तो इन डैंटल चेयर्स की मैंटीनैंस किस तरह से की जाती है। सरकार इसके ऊपर विचार करे और भविश्य में इसकी मैंटीनैंस के लिए कोई अलग से प्रावधान करने के बारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है?

डॉ.एम.एल.रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में केवल 242 डैंटल चेयर्ज हैं, जो कि PHC, CHC और सामान्य अस्पतालों में हैं जिनमें से 30 डैंटल चेयर्ज आउट–डेटिड हैं जो कि 30–30 साल पहले से ही बीओंड रिपेयर हैं और उन 242 में से 28 चेयर ऐसी हैं जो रिपेयर लायक हैं जिन्हें एक महीने में रिपेयर कर दिया

जायेगा तथा बाकी की चेयर चालू हालत में हैं और ठीक तरह से कार्य कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डैंटल चेयर्ज की रिपेयर के लिए अलग से हैड का ताल्लुक है इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां डैंटल चेयर्ज की रिपेयर के लिए अलग से कोई हैड नहीं है। जो हैड ''इक्वीपमैंटस की रिपेयर'' का है उसी हैड से डैंटल चेयर्ज की रिपेयर करवाई जाती है और सभी सिविल सर्जन इसी हैउ से डैंटल चेयर्ज तथा कोई दूसरी मशीन रिपेयर करवानी हो तो रिपेयर करवाते हैं। पिछले वर्श मार्च 2002 तक इस हैड से 35 लाख 5 हजार रूपये का खर्चा इक्वीपमैंटस की रिपेयर पर हुआ था। इस वर्श प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 40 लाख रूपये आये हैं जिसमें से एक–एक लाख रूपये एडवांस में प्रत्येक सिविल सर्जन के पास भेज दिया है। सिविल सर्जन जो इक्वीपमैंट रिपेयर करवायेंगे उसके लिस कोटेशन लेंगे या कन्ट्रैक्ट करके अपने लैवल पर ही रिपेयर करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हमने मार्च, 2002 में चार डैंटल चेयर खरीदी उस समय हमने संबंधित कंपनी से समझौता किया है कि अगले पांच साल तक वे मुफ्त में इन चार चेयर्ज की मुरम्मत करेंगे तथा इसी तरह से आगे भी जो चेयर्ज खरीदी जायैंगी उनका भी इसी तरह समझौता किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो 28 डैंटल चेयर्ज रिपेयर के लायक हैं वे एक महीने के अन्दर–अन्दर रिपेयर करवा ली जायेंगी और काम करने लगेंगी।

श्री जयप्रकाश गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1998 में इन्होंने 20 डैंटल चेयर्ज खरीदने का कोई टैंडर किया था और यह टैंडर किस कंपनी को अलाट किया था तथा जो डैंटल चेयर्ज खरीदी गई थी क्या वे 15 दिन में ही खराब हो गई थी?

डॉ. एम.एल.रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि पिछले साल मार्च, 2002 में हमने चार डैंटल चेयर्ज खरीदी हैं जो बिलकुल ठीक चल रही है और आने वाले पांच साल तक इन चार चेयर्ज में से कोई चेयर खराब होने पर कंपनी वाले मुफ्त में रिपेयर करेंगे। जहां तक 1998 की ये बात कर रहे हैं इस बारे में माननीय साथी अलग से प्रश्न दे दें, उसको चैक करवाकर जवाब दे दिया जायेगा।

Construction of Veerinary Hospitals

***1207. Sh. Balwant Sinigh Sadhaura**: Will the Minister of State for Animal Hosbandary be pleased to state the details of the amount sanctioned for the construction of Veterinary Hospitals, Dispensaries and S.M.C. in the State during the period from 25-7-1999 to 31-8-2002?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ. मोहम्मद इलियास): श्रीमान दिनांक 25.7.1999 से 31.8.2002 तक पशु हस्पतालों, औशद्यालयों व पशुधन केन्द्रों के निर्माण के लिए 1417.57 लाख रूपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

श्री बलवंत सिंह सढोरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पशु अस्पताल और डिसपैंसरी बनाने के क्या–क्या नार्म्ज हैं और आने वाले साल में कहां–कहां पर नई अस्पताल और डिस्पैंसरी बनाई जायैंगी?

चौ. मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जो नीतियां और पालिसीज अस्पताल तथा डिस्पैसरी बनाने के लिए हैं वे इस प्रकार हैं कि पशु धन प्रजनन केन्द्र के लिए पशुओं की संख्या 2000 और इंसानों की संख्या 5000 होनी चाहिए तथा एक केन्द्र की दूसरे केन्द्र से कम से कम तीन किलोमीअर की दूरी होनी चाहिए। इसी तरह से पशु औशद्यालय के लिए पशुओं की संख्या 1000 और इंसानों की 2000 होनी चाहिए तथा एक औशधालय की दूसरे औशधालय से तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्पैंसरी को अपग्रेड करने का ताल्लुक है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिस किसी भी डिस्पैंसरी को अपग्रेड करने के लिए एप्लीकेशन आती है उस इलाके में पशुओं की संख्या 2000 होनी चाहिए और इंसानों की संख्या 5000 होनी चाहिए, तभी सरकार डिस्पैंसरी के अपग्रेड करने बारे विचार करती है। विचार–विमर्श करने के बाद ही अपग्रेड किया जाता है।

श्री रामबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि दूध उत्पादन योजना के तहत हरियाणा में जो गांव जिले में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय

स्थान पर आते हैं, उन गांवों में एस.एम.सी. नहीं हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि दूध उत्पादन में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले गांवों में एस.एम.सी. खोले जाएंगे।

डॉ. एम.एल.रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक दूध के उत्पादन का सम्बन्ध है, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पंजाब सूबा पहले नम्बर पर और दूसरे न म्बर पर हरियाणा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इस बारे में यह लिख कर दे दें कि जहां–जहां पर दूध उत्पादन संस्थाए हैं और वहां पर एस.एम.सी. नहीं हैं वहां पर ऐसे सैंटर्ज खोलने के बारे में जरूर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हरियाणा सरकार ने कई जनहित के निर्णय लिये हुए हैं जिस प्रकार से सारे हरियाणा में एस.सीज तथा बी.सीज चौपालों की मुरम्मत और रख–रखाव किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय सदन में आश्वासन देंगे और यह देखेंगे कि काफी जगहों पर पशु अस्पताल तथा डिस्पैंसरियां हैं लेकिन कुछ जगहों पर उनकी बिल्डिंगज बहुत ही खस्ता हालत में हैं वहां पर डॉक्टर्ज तथा वैटरनरी स्टाफ बाहर बैठता है। मंत्री महोदय सारे प्रदेश का सर्वे करवाएं और इकट्ठा निर्णय लें कि वैटरनरी अस्पताल तथा डिस्पैंसरीज का रख–रखाव ठीक रहे और उनकी बिल्डिंगज की मुरम्मत करवाई जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के कई हिस्से आए हैं जहां–जहां पर नार्म्ज पूरे हो जाएंगे उन गांवों में एस.एम.सी. खोल दिए जाएंगे। दूसरे जहां तक अस्पतालों की बिल्डिंगज की मुरम्मत का ताल्लुक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सम्पति का रख–रखाव करे और जहां कही मुरम्मत की जरूरत है गांवों में जो पशु अस्पताल है दूसरे जितने भी सरकारी अदायरे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनकी बिल्डिंग की मुरम्मत करवाई जाती है। जहां कही पर ऐसी कोई शिकायत मिलेगी सरकार उसको दूर करेंगी।

Pay Scale of Ayurvedic Doctors

***1218. Dr. Bishan Lal Saini**: Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant pay scale to the Ayurvedic Doctors at par with the Allopathic Doctors in the State?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा.एम.एल.रंगा): नहीं श्रीमान् जी।

डा. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, एक सितम्बर, 2002 में छछरौली विधान सभा क्षेत्र में चौ. देवी लाल जी के स्टैचु का अनावरण सी.एम. साहब ने किया था उस मौके पर आयुर्वैदिक डाक्टरौं ने अपनी मांगें उनके सामने रखी थीं। उस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मांग मानी थी कि आयुर्वैदिक डाक्टरों को ऐलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतन मिलेगा। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनांउसमैंट भी की थी और यह कहा

था कि यह वेतनमान अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य भी शायद आयुर्वैदिक डिग्री प्राप्त डाक्टर होंगे। यह ठीक है कि हमारे साथी ने सवाल पूछा है मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि लोगों की तरफ से इस प्रकार की जो भी डिमांड रखी जाती है उस डिमांड की असैसमैंट करवाई जाती है और अगर डिमांड ठीक बैठती है तो निश्चित रूप से उस पर अमल किया जाता है।

Construction of a Siphon

***1204. Sh. Jasbir Mallour**: Will the Chief Minister be pleased to state whehter there is any proposal under consideration of the Government to construct a Siphon over the Narwana Branch and Satluj-Yamuna Link Canal at village Naggal (Ambala) to drain out the flood water, if so, the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): नहीं, श्रीमान् जी। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री जसबीर मलौर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक सर्वे करवाएं। ऐसे हल्के नग्गल के करीब 40 गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती

है। वहां पर उस बाढ़ से भारी और भयंकर तबाही होती है। हर साल लाखौं रूपये लोगों को बसाने पर खर्च करना पड़ता है। बाढ़ की रोक थाम के बारे में पब्लिक की तरफ से मांग रखी गई थी और पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने उसका ऐस्टिमेट भी बनाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है या नहीं यदि इस बारे में कोई कार्यवाही की जानी है तो क्या उस पर जल्दी विचार किया जाएगा?

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि वहां पर साईफन बनाने के बारे में निचली तरफ बांई ओर के जो गांव हैं खन्ना माजरा, बकनौर, मिया माजरा, अलाउदीन माजरा, सोनपुर, सकेती, बिशनगढ़ इत्यादि गांव के लोगों ने विरोध किया और उनके विरोध के बावजूद भी 9 करोड़ 42 लाख रूपए का एस्टीमेट बनाकर टी.ए.सी. की मीटिंग में ले जाया गया और उस कमेटी ने उसको टैक्नीकली ग्राउंड पर डैफर कर दिया था। इसलिए इसको बनाया जाना ठीक नहीं था। इसके अलावा दूसरी तरफ से लोग इस बारे में बहुत भारी एतराज करते हैं।

श्री जसबीर मलौर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उसमें दोनों साईडों पर बांध बनाकर पिचिंग करके वहां के बाढ़ के पानी को आगे टांगरी नदी में डाला जा सकता है उससे उन गांव के लोगों को नुक्सान भी

नहीं होगा जो इस बारे में एतराज करते हैं। उन गांव वालों को डर इस बात का है कि साईफन बनने से उनको नुकसान न हो जाए। अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल अधिकारियों से ऐसा एस्टीमेंअ बनवाएं जिससे दोनों साईडों पर बांध बना करके पिचिंग करके उस बाढ़ के नाम को टांगरी नदी में गिरा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैसे की बात है तो सुप्रीमकोर्ट ने पिछले दिनों एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में हरियाणा सरकार के हक में फैसला दिया है, अब एस.वाई.एल. की दोबारा से रिपेयर होगी तो उसमें इस काम का खर्चा डाल सकते हैं ताकि वह भी आसानी से बन सके।

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इसको तकनीकी आधार पर रिजैक्ट किया जा चुका है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर और नरवाना ब्रांच पहले ही बहुत ज्यादा भराई से ऊंची है। अध्यक्ष महोदय, जब टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी ने रिजैक्ट कर दिया है तो उसको दोबारा से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

Saraswati Feeder

***1201. Sh. Lila Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Saraswati Feeder; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यह कार्य दिसम्बर, 2001 में पूरा हो चुका है।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हरियणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में यह कहना चाहूंगा कि हमारे सरस्वती फीडर की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से बारिश कम होने की वजह से हमारी सरस्वती फीडर नहर में कम पानी आता है क्योंकि पहले वहां पर पानी मुश्तवापुर झील में रोक लिया जाता है और वह पानी नहर के माध्यम से कैथल हल्के में दिया जाता था। मैंने मंत्री जी से भी कहा था कि कुरूक्षेत्र के गन्दे नाले का और सीवरेज का गन्दा पानी नहर में डाल दिया जाता है जिसका वजह से उसमें जाला बन जाता है और पानी का बहाव पूरी तरह से रूक जाता हैं। हमारे कैथल में विशेश तौर से चार माईनर्ज पड़ती हैं और ये चारों जिले कैथल में ही पड़ती है। ये शेरगढ़ माईनर, दुधरेड़ी, उलगड़न माईनर और गुना माईनर है। जाले की वजह से किसी भी माईनर के टेल पर पानी नहीं पहुंचना है। मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि उस सीवरेज के पानी को और गन्दे नाले के पानी को किसी और रास्ते से निकाला जाए और उसे और कहीं डालने की व्यवस्था करें क्योंकि यह बहुत ही भंयकर समस्या है।

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी के कहना चाहूंगा कि जाले वाली बात को हम एग्जामिन करववा लेंगे क्योंकि यह सरकार किसानों को सर्वोपरि समझती है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मध्यनजर रखते हुए इसी फीडर पर 86.82 लाख रूपए खर्च किए गए हैं। इनकी कपैस्टी 30 प्रतिशत बढ़ाई गई है। जहां तक वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि पहले बीबीपुर इलाके में पानी जमा किया जाता था वहां पर किसानों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद ही इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है ताकि कैथल के किसानों को पानी जो सरस्वती फीडर से फीड होता है वह उनको दिया जा सके। जहां तक जाले की बात है तो हम उन जालों को निकलवाएंगे।

Amount spent on Repair/Construction of Roads by H.S.A.M.B.

***1219. Ch. Nafe Singh Rathi**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state, the Constituency wise amount spent on the repair and newly constructed roads of Jhajjar and Rohtak districts by the H.S.A.M.B. during the period from 15th May, 1991 to 22nd May, 1996 and from 23rd May, 1996 to 27th July, 1999 and from 1st August, 1999 to 31st August, 2002 separately?

कृशि मंत्री (स. जसविन्द्र सिंह संधू): जिला झज्जर व रोहतक में सड़कों की मुरम्मत व नव–निर्माण पर किये गये खर्च

का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण विधानसभा पटल पर रखा जाता है।

विधानसभा क्षेत्रवार सड़कों की मुरम्मत व निर्माण पर किये गये खर्च का विवरणः

क्र.स.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	आईटम	व्यय (रूपये लाखों में)		
			15.5.91 से 22.5.96	23.5.96 से 27.7.99	1.8.99 से 31.8.02
1	2	3	4	5	6
(क)	जिला झज्जर				
(i)	बहादुगढ़	नई सड़कों का निर्माण	15.45	1.76	81.22
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	14.50	481.51
(ii)	झज्जर	नई सड़कों का निर्माण	4.19	2.57	116.32
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	4.11	47.36
(iii)	सालहावास	नई सड़कों का निर्माण	46.53	21.87	150.10

		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	1.16	49.51
(iv)	बेरी	नई सड़कों का निर्माण	23.85	20.42	166.88
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	शून्य	98.75
(v)	बादली	नई सड़कों का निर्माण	60.30	शून्य	199.52
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	15.38	307.63
(ख)	जिला रोहतक				
(i)	हसनगढ़	नई सड़कों का निर्माण	24.23	शून्य	419.68
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	25.21	636.07
(ii)	किलोई	नई सड़कों का निर्माण	113.26	31.71	283.40
		सड़कों की मुरम्मत	1.01	48.29	65.99
(iii)	महम	नई सड़कों का निर्माण	44.61	9.76	581.07
		सड़कों की मुरम्मत	2.18	16.10	814.70

(iv)	कलानौर	नई सड़कों का निर्माण	17.39	शून्य	290.64
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	19.22	33.30
(v)	रोहतक	नई सड़कों का निर्माण	2.36	शून्य	शून्य
		सड़कों की मुरम्मत	शून्य	शून्य	24.30

स. जसविन्द्र सिंह संधू: सर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका विवरण पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है सुनाईये।

स. जसविन्द्र सिंह संधू: सर, जिला झज्जर में बहादुरगढ़ की नयी सड़कों के निर्माण पर 15.5.1991 से 22.5.1996 तक 15 लाख 45 हजार रूपये खर्च किये गये और चौ. बंसीलाल जी के राज में 23.5.1996 से 27.7.1999 तक पौने दो लाख रूपये खर्च किये गये जबकि हमारी सरकार आने के बाद 1.8.1999 से 31.8.2002 तक 81 लाख 22 हजार रूपये खर्च हुए। बहादुरगढ़ में सड़कों की मुरम्मत के लिए पहली अवधि के दौरान एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया था। दूसरी अवधि के दौरान बंसी लाल जी की सरकार के समय में सिर्फ 14.50 लाख रूपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 481.51 लाख रूपये बहादुरगढ़ में खर्च किये गये। इसी तरह से झज्जर में नयी सड़कों के निर्माण

पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 4.19 लाख रूपये खर्च किये गये और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ 2.57 लाख रूपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 116.32 लाख रूपये खर्च किये गये। इसी तरह से झज्जर में सड़कों की मुरम्मत पर पहली अवधि के दौरान एक नया पैसा भी नहीं खर्च किया गया और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ 4.11 लाख रूपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 4736000 रूपये खर्च किये। इसी तरह से साल्हावास में नयी सड़कों के निर्माण के लिए पहली अवधि में 46. 53 लाख रूपए और दूसरी अवधि में सिर्फ 21.87 लाख रूपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान एक करोड़ 50 लाख रूपये खर्च किये गये हैं। सर, इसी तरीके से सड़कों की मुरम्मत के लिए साल्हावास में पहली अवधि के दौरान शून्य और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ एक लाख 16 हजार रूपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान 49 लाख 51 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। (विघ्न) सर, इसी तरह से बेरी में नयी सड़कों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान 23.85 लाख रूपये और दूसरी अवधि के दौरान 20.42 लाख रूपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान एक करोड़ 66 लाख 88 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। इसी तरह से बेरी में सड़कों की मुरम्मत के लिए पहली अवधि के दौरान शून्य और चौ. बंसी लाल जी के राज्य में भी शून्य जबकि हमारी अवधि के दौरान 98 लाख 75 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रामकिशन एवं रघुबीर कादयान जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादयानः यह पैसा कहां चला गया है इसलिए तहकीकत होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्षः आपके सामने चौ. भजन लाल जी बैठे हैं। आप इनसे ही इस बारे में पूछिए।

स. जसविन्द्र सिंह संधूः स्पीकर सर, इसी तरह से बादली में नयी सड़कों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 60.30 लाख रूपये और बंसी लाल जी के राज्य में शून्य जबकि हमारे राज में एक करोड़ 90 लाख 52 हजार रूपये यानी 48 हजार कम दो हजार रूपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से सड़कों की मुरम्मत पर पहली अवधि में शून्य और दूसरी अवधि में चौ. बंसी लाल जी के राज में 15.38 लाख रूपये खर्च किये गये जबकि हमारे राज में 307.63 लाख रूपये खर्च किये गये हैं। इसी तरह से रोहतक जिले में हसनगढ़ में नयी सड़कों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 24.23 लाख रूपये और बंसीलाल जी के राज में शून्य जबकि हमारी सरकार के दौरान चार करोड़ 19 लाख और 68 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। हसनगढ़ में सड़कों की मुरम्मत के लिए भजन लाल जी के राज में शून्य और बंसी लाल जी के राज में 25.21 लाख रूपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान

6 करोड़ 36 लाख 7 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से किलोई में नयी सड़कों के निर्माण के बोर में मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि पहली अवधि के दौरान 113.26 लाख रूपये और बंसीलाल जी के राज में सिर्फ 31.71 लाख रूपये जबकि हमारी थोड़ी सी अवधि के दौरान 2 करोड़ 83 लाख 40 हजार रूपये अब तक खर्च किए गए हैं। वहां पर सड़कों की मुरम्मत पर चौ. भजन लाल जी के राज में सिर्फ 1.01 लाख रूपये व बंसी लाल जी के राज में 48.29 लाख रूपये और हमारी अवधि में लगभग 66 लाख रूपये खर्च किये हैं। मेहम में नयी सड़कों के निर्माण में पहली अवधि के दौरान भजन लाल जी के राज मैं 44.61 लाख रूपये चौ. बंसी लाल जी के राज में सिर्फ 9. 76 लाख रूपये और हमारी अवधि में 5 करोड़ 81 लाख 7 हजार रूपये खर्च किए गए हैं। इस तरह सड़कों की मुरम्मत पर चौ. भजन लाल के राज में 2.18 लाख रूपये और बंसी लाल जी के राज में 16.10 लाख रूपये और हमारे राज की अवधि में 8 करोड़ 14 लाख 70 हजार रूपये खर्च किए जा चुके हैं। कलानौर में पहली अवधि के दौरान सड़कों पर 17.39 लाख रूपये और बंसी लाल जी के राज में एक नया पैसा भी नहीं और हमारी अवधि के दौरान 2 करोड़ 90 लाख 64 हजार रूपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से सड़कों की मुरम्मत पर भजन लाल जी के राज में एक नया पैसा भी नहीं खर्च किया और बंसी लाल जी के राज में 19.22 लाख रूपया और हमारे राज में कुल 33.30 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं। रोहतक में पहली अवधि के दौरान नयी सड़कों पर 2

लाख 36 हजार रूपये खर्च हुए हैं। क्योंकि यह काम मार्किटिंग बोर्ड करता है हम शहरों की सडकें नहीं बनाते। जो कोई रोहतक शहर की सड़क गांव के साथ लगती है वह हम बनाते हैं और उस पर हमने 24 लाख 30 हजार रूपये खर्च किए गए हैं। यह दोनों जिलों का ब्यौरा है (शोर एवं व्यवधान) चाहे भजन लाल जी की पांच साल की सरकार थी या चौ. बंसी लाल जी की साढ़े तीन साल की सरकार थी जो खर्च कुछ साढ़े आठ या 9 साल की अवधि में नहीं हुआ वह खर्च हमने अढ़ाई तीन साल की अवधि में किया है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, आज मैं बधाई देता हूं कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के गतिशील नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार चल रही है और जैसा मंत्री जी ने बताया। इनके नेतृत्व में नयी सड़कों के निर्माण पर बहुत अधिक प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वे बताएं कि 1987 से 1991 की अवधि के दौरान बहीन से सेवली और नांगल जाट से अंधोप तक जो सड़क बनी थी उस पर पिछले दस सालों के कोई रिपेयर नही हुई हैं, यह रिपेयर कब तक करा दी जाएगी? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमैंट्री सवाल से रिलेटेड नहीं हैं। आप बैठ जाएं।

चौ. नफे सिंह राठी: स्पीकर सर, चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में चुहुंमुखी विकास के कार्य चल रहे हैं और हरियाणा में विपक्ष भी सरकार पर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता कि हमारे हल्कों में काम नहीं हुआ। हुड्डा साहब, आपकी पार्टी की सरकार के समय में आपके हल्के में चौ. भजन लाल जी ने नयी सडकें बनाने के लिए पांच साल की अवधि में लगभग 114 लाख रूपये लगाए थे और चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में 3 करोड़ 49 लाख 39 हजार रूपये खर्च किए गए हैं। बेरी में कांग्रेस की सरकार ने केवल 23 लाख 85 हजार रूपये खर्च किये थे और चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने 2 करोड़ 65 लाख 63 हजार रूपये खर्च किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि दो अढ़ाई साल पहले जो सड़कें मार्किटिंग बोर्ड से रिपेयर कराई गई थीं इनमें से कुछ सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. की थी जो मार्किटिंग बोर्ड ने रिपेयर की थी उसके बाद से तीन सीजन बारिश के चले गए हैं और कुछ जगहों से छोटी मोटी टूटनी शुरू हो गई हैं उनकी रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड कराएगा या पी.डब्ल्यू.डी. ने करानी हैं? कौन सा डिपार्टमैंट इनकी रिपेयर करायेगा और कब से यह काम शुरू कर दिया जाएगा?

स. जसविन्द्र सिंह सन्धू: स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि जो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें हैं उनकी रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड करेगा और इसके लिए हमने

हरियाणा प्रदेश की 3200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की रिपेयर का काम करने के लिए मार्किटिंग बोर्ड को दिया है, जिन पर रिपेयर का काम चल रहा है।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी–अभी जो उन्होंने सदन के पटल पर ब्यौरा प्रस्तुत किया है उस ब्यौरे को प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहरों की सड़कों की रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड नहीं करता। लेकिन जिन शहरों के बीचों बीच अनाज मण्डी हैं उन मण्डियों में अनाज लाने ले जाने से वहां की सड़कें टूट गई हैं, क्या उन सड़कों की रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को आश्वस्त करना चाहूगा कि मौजूदा सरकार के दिमाग में शहरों को और देहात का कोई प्रश्न नहीं है। मार्किट कमेटी आ अपना दायरा है और नगर पालिका का अपना दायरा है। यह सरकार को जिम्मेवारी है कि वह सभी सड़कों की मरम्मत करे। कौन से अदायरे कौन सी सड़क की मरम्मत कर सकते हैं इस बारे में बैठकर तय कर लिया जायेगा। लेकिन हमारा एक निर्णय है कि समय तो लग सकता है क्योंकि पैसा ज्यो–ज्यों आयेगा बजट के आधार पर उसी हिसाब से खर्च किया जायेगा लेकिन हम सभी सड़कों की मरम्मत कर काम वार फूटिंग के आधार पर करेंगे। जहां–जहां पर सूचना मिलेगी कि

सड़कों की मरम्मत होनी है वहां पर मरम्मत का कार्य किया जायेगा। हमारी सरकार, साथ लगते दूसरे प्रदेशों की जितनी भी उनकी बाउंडरी हमारे साथ लगती हैं, उन तक जो सड़कें जाती हैं, उनको ठेठ तक पक्का बनाने का काम करेगी।

Amount Released by HRDF

***1200. Sh. Balwant Singh Maina**: Will the Chief Minister be pleased to state the amount released to the Panchayats by the HRDF for the execution of various development works in Jhajjar, Salhawas, Beri, Bahadurgarh, Badli, Kiloi, Hasangarh, Meham, Kalanaur, Rohat, Rai, Kailana and Julana Constituencies, during the period from 20th May, 1991 to 20th May, 1996 and from 22nn May, 1996 to 27th July, 1999 togetherwith the amount sanctioned and released during the period from 1st August, 1999 to 31st August, 2002?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

विवरण

ग्रामीण विकास कार्यों के लिए विधान सभा हल्कों में जैसे झज्जर, साल्हावास, बेरी, बहादुरगढ़ बादली, किलोई, हसनगढ़, महम, कलानौर, रोहट, राई, कैलाना तथा जुलाना में एच. आर.डी.एफ. स्कीम के तहत स्वीकृत/जारी की गई राशि का विवरण:—

(राशि लाखों में)

हल्का	20.5.1991 से 20.5.1996		22.5.1996 से 27.7.1999		1.8.1999 से 31.8.2002	
	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
झज्जर	29.96	29.96	249.93	230.51	297.87	280.34
साल्हावास	58.23	58.23	96.26	52.58	555.99	452.33
बेरी	282.36	282.36	33.32	26.26	461.94	337.25
बहादुरगढ़	44.40	44.40	24.79	17.69	568.73	535.92
बादली	22.80	22.80	17.08	17.08	564.86	528.67
किलोई	124.15	124.15	57.53	49.27	194.49	194.

						49
हसनगढ़	50.89	50.89	24.07	21.53	459.18	413.80
महम	117.35.	117.35	36.73	33.00	466.41	433.86
कलानौर	42.75	42.75	5.99	5.99	432.58	359.29
रोहट	15.33	15.33	149.11	109.43	235.62	231.57
राई	25.18	25.18	13.31	13.31	354.53	331.62
कैलाना	37.32	37.32	167.38	158.24	456.87	433.87
जुलाना	20.57	20.57	191.33	161.73	225.41	225.41

श्री बलवन्त सिंह मायना: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने सूचना पटल पर रखी है उसमें एच.आर.डी.एफ. की मद में कितना पैसा है और ये पैसा कौन–कौन से विकास कार्यों के लिए लिया

दिया जाता है। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि समय अवधि में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कौन–कौन से कार्यों के लिए कितना धन दिया गया है और 1991 से 1999 तक जो पैसा दिया गया उस समय किसकी सरकार थी और 1999 से 2002 तक इस सरकार के समय में कितना पैसा दिया गया है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, हरियाणा रूरल डिवलैपमैंट फण्ड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ने जो ''सरकार आपके द्वार'' प्रोग्राम चलाया है उससे हरियाणा प्रदेश के गांव–गांव में, गली–गली में आज हरियाणा रूरल डिवलैपमैंट फण्ड के बारे में सभी पंचायतें, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिशदों के मैम्बर जानने लग गये हैं। इस फण्ड के तहत गांव की गलियों की मरम्मत के लिए स्कूलों के कमरों का निर्माण करने के लिए, स्कूलों की चारदीवारी के लिए, आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी के लिए, पशु डिस्पैंसरी के लिए, सी.एम.सी. के लिए, पशु औशधालयों के लिए, हरिजन चौपाल के लिए, बैकवर्ड क्लास की चौपाल के लिए, हरिजन चौपाल की मरम्मत के लिए, बैकवर्ड की चौपाल की मरम्मत के लिए, हरिजन चौपाल और बैकवर्ड चौपाल की कम्पलीशन के लिए, हरिजन चौपाल की चारदीवारी के लिए, बैकवर्ड चौपाल की चारदीवारी के लिए और पंचायत घर की दीवारी बनाने के लिए, गंदे पानी की डिस्पोजल के लिए, नाले बनाने के लिए, शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को बनाने के लिए, शमशान घाट में शैड के निर्माण के लिए हाड़ा रूड़ी की चार

दीवारी बनाने के लिए, जोहड़ में पानी भरने के लिए, नाले बनाने के लिए, खालें बनाने के लिए, क्लास रूम और साईस रूम बनाने के लिए, रिटेनिंग वाल के लिए, जल वितरण पानी की टैंकी बनाने के लिए राशि वितरित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने यह भी जानना चाहा है कि इस समयावधि में जो इन्होंने प्रश्न में उदधृत की है कि इनकी कौन–कौन सी कांस्टीच्युसी में कितना–कितना पैसा दिया गया है और उस वक्त कौन शासन चला रहा था, इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि 20.5.91 से 20.5.96 तक झज्जर में कितना पैसा दिया गया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि 20.5.91 से 20.5.96 तक झज्जर में विकास कार्यो के लिए 42 लाख 75 हजार रूपये दिए गए और उस समय भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। माननीय चौटाला साहब के राज में झज्जर को विकास कार्यो के लिए 2 करोड़ 97 लाख रूपये दिए गए थे। भजन लाल जी, यह अपने आप में रिकार्ड की बात है और बंसीलाल जी के समय में कितना पैसा किस कांस्टीच्युंसी को विभिन्न कामों के लिए दिया गया अगर माननीय साथी चाहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब, आप काम की बजाय कांस्टीच्युंसी वाइज बताएं कि टोटल कितना पैसा दिया गया।

श्री रामपाल माजरा: यज प्रकाश जी, थैंक्स कर रहे थे कि सारी सड़कें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से साल्हावास की मायना साहब को बड़ी चिन्ता है। मैं

विशेश रूप से बहन जी को बताना चाहता हूं कि भजन लाल जी के राज में 1991 से 1996 तक साल्हावास की गलियों और नालियों, चौपालों और फ्लड रिलीफ के लिए 58 लाख रूपये मिले। बहन जी, आप का खोलकर सुनें कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला के राज में साल्हावास को 5 करोड़ 55 लाख रूपये मिले हैं, यह तो आपका दिल भी गवाही देगा कि आपके साल्हवास की गलियों के लिए 3 करोड़ 71 लाख रूपये और स्कूल रूम्स बनाने के लिए 13 लाख रूपये दिए गए, बाउंडरी वाल के लिए 7 लाख 68 हजार रूपये, रिपेयर आफ स्कूतस के लिए 2 लाख 78 हजार रूपये, वैटरनिरी डिस्पैंसरीज के लिए 7.22 लाख रूपये दिए गए। नई हरिजन चौपालों, बैकवर्ड चौपालों के लिए 19 लाख रूपये दिए गए, बी.सी. चौपाल और एस.सी. चौपालों की रिपेयर के लिए 95 हजार 50 रूपये दिए गए। हरिजन चौपाल की बाउंडरी वाल के लिए 77 हजार रूपये, पंचायत घर की बाउंडरी वाल के लिए 2 करोड 33 लाख रूपये दिए गए। वेस्ट वाअर की निकासी के लिए नाला बनाने के लिए 39 लाख रूपये और दिए गए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शमशान घाट के एिल 19 लाख 86 हजार रूपये दिए गए, शैड आन शमशान घाट के लिए 10 लाख 36 हजार रूपये दिए गए। इस प्रकार टोटल 5 करोड 55 लाख 99 हजार रूपये बनता है। बहन जी, साल्हावास की चिन्ता मायना साहब को है। चौ. बंसी लाल जी के राज में मात्र 96 लाख रूपये मिले थे गलियों के लिए 92 लाख रूपये और स्कूलों के कमरों के

लिए 4 लाख 26 हजार रूपये मिले। (विघ्न) इसलिए ऐसे विरोध करने से नहीं चलेगा, ये गांव के लोग बोल रहे हैं।

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक साल्हावास की बात आई और जहां तक माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया, मंत्री जी हमारी ग्रिवैंसिज के मंत्री हैं, हम इनका मान करते हैं। जहां तक हरिजन चौपालों की बात है।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप गांव के बारे में न पूछें, पैसे लगे हैं या नहीं यह पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, कुछ पैसे लगे होंगे और कुछ ज्यादा दिखा दिए होंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, जब जवाब बहुत लम्बा है। बंसी लाल जी के समय में बेरी हल्के को विकास के लिए 33 लाख 32 हजार रूपये दिए गए और भजनलाल के समय में बेरी को विकास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रूपये दिए गए और श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 4 करोड़ 61 लाख 94 हजार रूपये बेरी हल्के को मिले हैं। बेरी की गलियों के निर्माण के लिए इस वक्त में 2 करोड़ 61 लाख 46 रूपये और स्कूलों के कमरों के लिए 24 लाख 66 हजार रूपये मिलें हैं। स्कूलों की बाउंडरी वाल के लिए 7 लाख 46 हजार रूपये और वैटरनरी डिस्पैंसरीज के लिए 3 लाख 57 हजार रूपये मिले हैं। नई हरिजन चौपाल बनाने के लिए 13.25 लाख रूपये, नई बी.सी. चौपाल

बनाने के लिए 1.25 लाख रूपये, बाउंडरी कमपलीकेशन आफ हरिजन चौपाल के लिए 24 हजार रूपये, बाउंडरी वाल आफ हरिजन चौपाल के लिए 83 हजार रूपये, बाउंडरी वाल आफ बी. सी. चौपाल के लिए 59 हजार रूपये, गन्दे पानी के नाले के लिए 32.49 हजार रूपये, शमशानघाट के लिए 4.98 लाख रूपये, शमशानघाट में शैड बनाने के लिए 2.96 लाख रूपये, रिटेनिंग वाल के लिए 43.49 हजार रूपये, गऊ घाट के लिए 90 हजार रूपये और कामन स्थानों के लिए 95 हजार रूपये दिए गये हैं। स्पीकर सर, किलोई के बारे में बताना चाहूंगा कि किलोई हल्के में 1998 से 1999 के दौरान 57 लाख रूपये और चौ. भजन लाल जी के समय में 124 लाख रूपये दिए गये थे लेकिन चौटाला साहब ने किलोई हल्के के विकास के लिए 1 करोड़ 94 लाख 49 हजार रूपये दिए हैं। किलोई से हुड्डा साहब विधायक हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किसी भी हल्के के साथ भेदभाव नहीं किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं।

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: कैप्टल साहब मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) जो भी माननीय सदस्य बैठे–बैठे बोल रहे हैं। उनकी बात भी रिकार्ड न की जाये।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, बहादुरगढ़, हल्के का नफे सिंह राठी जी प्रतिनिधित्व करते हैं। चौ. भजन लाल जी के समय में बहादुरगढ़ हल्के के विकास के लिए 44 लाख रूपये दिए गये और चौ. बंसी लाल जी के समय में 24 लाख रूपये दिए गये लेकिन चौटाला साहब ने बहादुरगढ़ हल्के के विकास के लिए 468.73 लाख रूपये दिए हैं। स्पीकर सर, चौ. धीरपाल जी पिछली कई योजनाओं से बादली हल्के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौ. भजन लाल जी ने और चौ. बंसी लाल जी ने इस हल्के के विकास की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया और इस हल्के के साथ भेदभाव होता रहा। इसके हल्के के विकास के लिए चौ. भजन लाल के समय में 22 लाख रूपये दिए गये और चौ. बंसी लाल जी के समय में 17 लाख रूपये दिये गए थे जबकि चौटाला साहब ने बादली हल्के के विकास के लिए 564.86 लाख रूपये दिये हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से हसनगढ़ हल्के का प्रतिनिधित्व मायना साहब कर रहे हैं और इस हल्के के साथ भी दूसरी सरकारों के समय में काफी भेदभाव हुआ है। चौ. बंसी लाल जी के समय में इस हल्के के विकास के लिए 24 लाख रूपये और चौ. भजन लाल जी के समय में 50 लाख रूपये दिए गये थे और चौटाला साहब ने हसनगढ़ हल्के के विकास के लिए 459.18 लाख रूपये दिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हसनगढ़ हल्के के गांवों की गलियां पक्की बनी और स्कूलों में कमरे भी बने। स्पीकर सर, महम हल्के के विकास के लिए चौ. बंसी लाल जी के समय में 36 लाख रूपये और चौ. भजन लाल जी के समय में 1.17 करोड़ रूपये मिले

जबकि चौटाला साहब ने 466.41 लाख रूपये दिये, यही कारण है कि चौटाला साहब की सरकार आने के बाद महम हल्के के गांवों का भी काफी विकास हुआ। स्पीकर सर, इसी तरह से कलानौर हल्के के विकास के लिए चौ. भजन लाल जी के समय में 42 लाख रूपये और चौ. बंसी लाल जी के समय में 5.99 लाख रूपये खर्च हुए जबकि चौटाला साहब ने कलानौर हल्के के विकास के लिए 432.58 लाख रूपये दिए हैं। रोहट हल्के में चौ. भजन लाल जी के राज में केवल मात्र 15 लाख 33 हजार रूपये विकास के कामों पर खर्च हुए क्योंकि रोहट भी इनकी आंख में रड़कता था जब कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 2 करोड़ 35 लाख 62 हजार रूपये खर्च हुए। स्पीकर साबह, इसी प्रकार से राई हल्के में चौ. बंसी लाल जी के राज में 13.31 लाख रूपये विकास के कामों पर खर्च हुए और चौ. भजन लाल जी के राज में 25.18 लाख रूपये खर्च हुए जबकि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 3 करोड़ 54 लाख 53 हजार रूपये खर्च हुए हैं। स्पीकर सर, अभी तो हमारे अढ़ाई साल ही पूरे हुए हैं (विघ्न)। पाई का जिक्र नहीं है, कैलाना का जिक्र है। स्पीकर सर, चौ. भजन लाल जी के टाईम में कैलाना में विकास के कामों पर 3332000 रूपये मात्र खर्च किए गए और चौटाला साहब के राज में 45687000 रूपये खर्च हुए हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। किलोई हल्के के विधायक यह कह रहे है कि हां हुए हैं उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया है। स्पीकर सर, चौ. शेर सिंह जी जुलाना के बारे में कह रहे हैं। जुलाना हल्के में चौ. भजन लाल जी के टाईम मं 3054000 रूपये

विकास के कामों पर खर्च हुए और चौटाला साहब के राज में 22541000 रूपये खर्च हुए हैं। (विघ्न)

श्री शेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: शेर सिंह जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इनकी बात सुनिए। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। आप पेशैंस से सुनिए और जरा धैर्य रखिए। (विघ्न) शेर सिंह जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, जय प्रकाश जी बीच में बार–बार खड़े हो रहे हैं। अगर ये कास्टीच्यूऐंसी वाईज सारे क्षेत्रों की डिटेल चाहते हैं तो मैं वह रिपोर्ट भी इनके समक्ष रख देता हूं। इस छोटे से शासन काल में बहुत काम हुए हैं। (विघ्न) चौ. भजन लाल जी का 5 साल का राज रहा और उसमें विकास के कामों पर 177 करोड़ रूपये खर्च हुए और इस सरकार के छोटे के शासनकाल में 400 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए हैं और 435 करोड़ रूपये की मन्जूरी दे दी गई है। स्पीकर सर, इसके अलावा माननीय चौटाला साहब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गांवों में विकास के कामों का रंग ला दिया और गांवों में फुलवाड़ी सी खिला दी।

Construction of 33 KB Sub. Station Sisai.

***1222. Sh. Puran Singh Dabra**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 33 KV Sub-station at Sisai in District Hisar?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): हां श्रीमान्, जिला हिसार में सिसाय में 1.16 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 33 के.वी. उपकेन्द्र, सम्प्रेशण लाइन सहित निर्माण करने का प्रस्ताव है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सिसाय में 33 के.वी.ए. के सब–स्टेशन का नींव पत्थर रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस सब–स्टेशन से कितने और लोगों को फायदा होगा, इसके विशय में बताने की कृपा करें।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री चौटाला साहब जी ने एक सितम्बर, 2002 को उसका नींव पत्थर रखा है और वर्श 2003 में यह सब–स्टेशन काम करना शुरू कर देगा। इस सब–स्टेशन से सिसाय, जमावड़ी, कुम्भा, राजपुरा पाली, गगनखेड़ा, खेड़ी ढाणी ब्राह्मण, ढाणी सोबा, कुम्बा खेड़ा, बारा गुजरां, ढाबा खेड़ा, दानीपाल आदि गांवों को फायदा होगा और यहां के लोग इससे लाभान्वित होंगे।

चौ. नफे सिंह राठी: स्पीकर सर, मैं माननीय सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि इस फाईनैंशियल इयर में कितने नये सब–स्टेशन बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गांवों में बिजली के मामले में विपक्ष के लोगों की तसल्ली कर दी है। हरियाणा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें चमचमाती हैं, इस बात की गवाही विपक्ष के साथी खुद दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधान सभा में इनका कोई भी सवाल सड़कों के बारे में नहीं है। असल में तो इनका कोई भी सवाल नहीं है। स्पीकर सर, बिजली के मामले में हरियाणा प्रदेश की सरकार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हरियाणा प्रदेश में अनेकों बिजली के नए सब–स्टेशन बनोन जा रही है। स्पीकर सर, वैसे तो मैं पिछले सैशन में भी इस बारे में पूरी बात बता चुका हूं। (विघ्न) विपक्ष वालों के राज में निर्सिग में, टोहाना में, नारनौल में, नारनौंद में, लाडवा में, सतनाली में, मंडयाली में भी गोलियां चली थीं उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, छाज तो बोले बोले, छलनी भी बोले। स्पीकर सर, छाज तो बोले बोले, छलनी भी बोले। स्पीकर सर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरूद्ध कार्यवाही करी, आज वे इस तरह की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इस तरह से बीच में ने बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता बीच में टोक रहे हैं जबकि अब मैं रिप्लाई दे रहा हूं। इनको पहले रिप्लाई सुन लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले

यहां पर सवाल तो करें। आपको कोई सवाल तो है नहीं और न ही आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। आप पूरी तरह से सन्तुश्ट हैं। हमारे माननीय सदस्य ने बिजली के बारे में सवाल पूछा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं, कृपया आप सुनें। स्पीकर सर, अम्बाला में 220 के.वी. टेपला मैं, 66 के.वी. मुलाना में और 66 के.वी. दुखेड़ी में नए स्टेशन बनाने जा रह हैं। इसके अलावा अम्बाला में जो सब–स्टेशन आगमैंटेशन किये जा रहे हैं वे हैं, 66 के.वी. का आजादपुर में, 66 के.वी. का बरनाला में और 66 के.वी. का चौड़मस्तपुर में है। इसी प्रकार से पंचकुला में 66 के.वी. का कालका में, 66 के.वी. का मंसादेवी में नए सब–स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पंचकुला में 220 के.वी. की आगमैंटेशन होने जा रही है। इसी प्रकार से यमुना नगर में 66 के.वी. का तालकौर में और 66 के.वी. का गुलाब नगर में नए सब–स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा 220 के.वी. की यमुना नगर में, 66 के.वी. की मुस्तफाबाद में, 66 के.वी. की रादौर में, 66 के.वी. की गोविन्दपुरी में, 66 के.वी. की लाडों के आगमैंटेशन होगी। स्पीकर सर, इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से स्पीकर सर, 220 के.वी. का चीका में, 132 के.वी. का चकुलदाना में, 132 के.वी. का पाडला में, 132 के.वी. का कांसली में, 132 के.वी. का भागल में, 33 के.वी. का चौकड़ में नये सब–स्टेशंज बनाये जाएंगे। 220 के.वी. कैथल की, 132 के.वी. बौंद की, 132 के.वी. थाना की, 33 के.वी. राजौंद की आममैंटेशन की जाएगी। स्पीकर सर, इन सब–स्टेशंज की क्षमता बढ़ाई जाएगी। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों

को बताना चाहूंगा कि राठी साहब ने सवाल पूछा है कि कितने नए सब–स्टेशंज बनाए जा रहे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछ लिया और अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस बारे में पिछले सदन में भी बता चूका हूं। अब भी बता रहा हूं। स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों का तो विकास से कोई मतलब ही नहीं है, इनका तो विनाश से मतलब है। विनाश की कहानी सुना दो तो यह बहुत खुश होंगे। आज बिजली के इतने बढ़िया काम हो रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं इसलिए इनको बड़ा दर्द हो रहा है। स्पीकर सर, इसी तरह से कुरूक्षेत्र में 66 के.वी. का कलसाना में, 66 के. सी. का यारा में, 33 के.वी. का मुरथली में, 33 के.वी. का नैंसी में, 33 के.वी. का दुथला में, 33 के.वी. का सैसा में और 33 के.वी. का ढीक में, नए सब–स्टेशंज बनेंगे। स्पीकर सर, इसी तरह से 220 के.वी. का पेहवा में, 66 के.वी. का नलवी में और 33 के.वी. का बाड़ना में, आगमैंट किए जाएंगे। स्पीकर सर, नफे सिंह राठी जी बैठे बैठे कह रहे हैं कि झज्जर के बारे में बता दिया जाए। (विघ्न) 33 के.वी. का मछरौली में और 33 के.वी. का बहादुरगढ़ में आगमैंट किए जाएंगे। स्पीकर सर, अगर सभी माननीय सदस्य सन्तुश्ट हो गए हों और राठी साहब भी सन्तुश्ट हो गए हों तो ठीक है वर्ना मैं और भी बता दूंगा कि कहां–कहां पर नए बनाएं जाएंगे और कहां पर आगमैंट किए जाएंगे। वैसे सर, मैं यह डिटेल पिछले सैशन में भी बता चुका हूं।

Construction of a Bye-pass at Gohana

***1212. Sh. Ramesh Kumar Khatak**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-pass at Gohana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कर्ण सिंह दलाल: ****।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आपका तो सवाल ही नहीं है। (विघ्न) इसमें विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। जो मसौदा दोगे उसी पर तो डिस्कशन होगी। कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) यह क्वैश्चन ऑवर है, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। इनका कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। रमेश खटक जी, आप अपनी स्पलीमैंटरी पूछें।

श्री रमेश कुमार खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि गोहाना में पहले शूगर मिल नहीं थी और अब वहां पर 56 करोड़ रूपये की लागत से शूगर मिल लगाई गई है। स्पीकर सर, उस

शूगर मिल में किसान गन्ना डालने के लिए जुलाना रोड़, जीन्द रोड़, पानीपत और सोनीपत रोडज से आते हैं। उस शूगर मिल को मेहम रोड़ से होकर आना पड़ता है और इन पांच रोडज से जो किसान अपना गन्ना लेकर जाते हैं उनको उस शहर से होकर जाना पड़ता था, जब गन्ना पिराई का समय आता है तो किसानों को शहर से ही होकर जाना पड़ता है तो क्या सी.पी.एस. महोदय इस बारे में बताएंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वैस्ट है कि वहां किसानों की सुविधा और शहर की सुविधा और शहर की सुविधा को देखते हुए क्या वे गोहाना में बाईपास बनवाएंगे?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, 13 बाईपास बनाने की ऐडमिन्स्ट्रेटिव एप्रुवल पहले मिली थी जिनका काम जारी है। सिरसा में, ऐलनाबाद में, ढांढ में, जीन्द सिरसा रोड पर और सोनीपत झज्जर रोड पर बाईपास यानी ये चार बाईपास बनाने का काम जारी है। बाकी जहां तक गोहाना बाईपास बनोन का मामला है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह मामला भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है और जब भी भारत सरकार से मंजूरी मिल जाएगी तो यह काम हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Improvement In Power Generation

***1208. Ch. Ram Phal Kundu**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any impovement in power generation by H.P.G.C.L. during the last three years; if so, the details there of?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हां श्रीमान। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत केन्द्रों का उत्पादन 1998–99 के 3783.54 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्श 2001–02 में 5310.94 मिलियन यूनिट हो गया अर्थात् गत तीन वर्शो के दौरान बिजली उत्पादन में यह 40.36 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वर्श अप्रैल–सितम्बर 2002 के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वर्श के इसी अवधि के दौरान हुए बिजली उत्पादन की अपेक्षा 31.81 प्रतिशत अधिक रहा।

Up Gradation of Sub-Depot of Dabwali

***1213. Dr. Sita Ram**: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sub-depot of Haryana Roadways, Dabwali?

परिवहन मंत्री, (श्री अशोक कुमार): नहीं, श्रीमान जी।

Government Polytechinc College, Pabnawa

***1233. Sh. Tej Vir Singh**: Will the Chief Minister be pleased to State –

(a) the present position of the setting up of Government Polytechnic College, Pabnawa, District Kaithal; and

(b) whether Government intends to start Guest Classes in the Government Polytechnic, Nilokheri for the next academic session?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) ग्राम पंचायत से 20 एकड़ 1 मरला भूमि ली जा चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिशद से मंजूरी ली जा चुकी है। निर्माण कार्य धन राशि उपलब्ध होने पर शुरूकर दिया जायेगा।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Supply of Additional Electricity to Agriculture Sector

***1225. Sh. Rajinder Singh Bisla**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the steps taken or proposed to be taken by the Government to meet the increased electricity requirement in the Agricultural Sector due to drought in the State; and

(b) the extra/addition power supplied to the Agricultural Sector from 1st Juty to 30th September, 2002 as compared to the same period of preceding year?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) अप्रैल–सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान सूखे की स्थिति के कारण बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरी करने के लिए हरियाणा बिजली कम्पनियों ने पिछले वर्श की इसी अवधि की तुलना में 6351 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जोकि पिछले वर्श औसत बिजली आपूर्ति से 16 प्रतिशत अधिक है। साथ ही हाल ही के सूखे की स्थिति के कारण किसानों को विभिन्न रियायतें दी गई है। इन कदमों तथा रियायतों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) गत वर्श इसी अवधि के दौरान 229 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की तुलना में जुलाई–सितम्बर, 2002 के दौरान 335 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी गई जोकि 36 लाख यूनिट प्रतिदिन बढ़ोतरी है।

विवरण

कृशि क्षेत्र की बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य में बिजली उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाये गए प्रमुख कदमः

(क) खरीफ मौसमः

1. राज्य के निजी थर्मल स्टेशनों अर्थात पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर से अतिरिक्त उत्पादन करना जिन्होंने अप्रैल–सितम्बर 2002 के दौरान पिछले वर्श की इसी अवधि की तुलना में 31.81 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली उत्पादित की।

2. जुलाई 2002 से आगे की अवधि के दौरान पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मलाना जलीय परियोजना की सम्पूर्ण बिजली को खरीदना तथा नाफथा को ईधन के रूप में प्रयोग करके राजस्थान अटोमिक पावर प्लांट, फरीदाबाद गैस पर आधारित पावर प्लांट तथा पावर प्लांट तथा पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन/राश्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त बिजली खरीदना।

3. क्षेत्रीय ग्रिड से अतिरिक्त मांग करना तथा ग्रिड से अधिक बिजली लेना।

4. उपभोक्ताअें की अन्य श्रेणियों अर्थात उद्योग तथा घरेलू/वाणिज्यिक बिजली की आपूर्ति को नियमित करके कृशि क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई गई।

(ख) चालू रबी मौसमः

1. पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन तथा उतरी ग्रिड के माध्यम से अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है।

2. राज्य के निजी पानीपत थर्मल स्टेशन से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 110 मैगावाट यूनिट 2 का भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड से नवीनीकरण कराया जा रहा है तथा यह यूनिट नवम्बर 2002 के अन्त तक तैयार होनी सम्भावित है। इसके साथ ही 110 मैगावाट यूनिट–3 जो वर्तमान समय में पूर्ण मरम्मत के अन्तर्गत है वह भी नवम्बर 2002 के मध्य तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। ये दोनों यूनिटें 40–50 लाख यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से उत्पादित करेगी।

हाल के सूखे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों की दी गई राहतः

(क) जिन किसानों की खरीफ की फसल विशेश गिरदावरी के अनुसार 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराब हो गई है उनके बिलों की वसूली दिनांक 1.6.2002 से 30.9.2002 तक 6 मास के लिए आगे बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में कुल बकाया धन राशि बिना अधिभार के अप्रैल 2003 तक स्वीकार किया जाएगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति, गैर घरेलू आपूर्ति तथा कृशि पम्प सैटल श्रेणियों के लिए अधिकार माफी योजना दिनांक 31.10.2002 तक दी गई जिनके अन्तर्गत उन उपभोक्ताओं के अधिभार माफी की सुविधा है जो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करा दें। यह सुविधा स्थाई रूप से कनैक्शन कटे उपभोक्ताओं के लिए भी बढ़ा दी गई है।

(ग) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत नलकूल कनैक्शन शीघ्र देना।

(घ) एच.एस.एम.आई.टी.सी. नलकूपों को पुनः कनैक्शन, पुनः कनैक्शन जोड़ने के प्रभारों को लेकर ही ग्रामीण सहकारी समितियों/वाटर यूजर संगठनों को देने की स्वीकृत दी गई है। एच.एस.एम.आई.टी.सी. के बकाया देय राशि सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ड.) वर्तमान नलकूप उपभोक्ताओं के अनधिकृत लोड (भार) को नियमित करने की सुविधा मीअर लगे टयूबवैलों के लिए 1500/– रूपये प्रति बी.एच.पी. तथा बिना मीटर लगे टयूबवैलों के लिए 2000 रूपए प्रति बी.एच.पी. के डिपोजिट के पूर्व प्रावधान के विरूद्ध 100/– रूपये प्रति अतिरिक्त बी.एच.सी. तथा 30 रूपए प्रति बी.एच.सी. के अग्रिम उपभोग डिपोजिट का भुगतान करने पर दी जाएगी।

(च) लम्बित कोर्ट के मामलों को कोर्ट के बाहर निपटान करना।

Self Finance Scheme

***1211. Sh. Amar Singh Dhanday**: Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Self Finance Scheme for the introduction of new subject in Private Colleges in the State; if so, the object thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह): हां श्रीमान् जी। उच्चतर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी तथा बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उदेश्य से निजी महाविद्यालयों को स्व वित्त पोशण आधार (सैल्फ फाईनैन्सिंग बेसिस) पर नये पाठयक्रम आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Amount Spent under Sarv Shiksha Abhiyan

***1233. Sh. Nafe Singh Jundla**: Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) whether any amount has been sanctioned under Sarv Shiksha Abhiyan during the current financial year, if so, the details thereof; and

(b) the item on which the amount referred to in part 'a' above is to be spent during the aforesaid period?

शिक्षा राज्य मंत्री (चो. बहादुर सिंह):

(क) जी हां, वर्तमान वित्तीय वर्श के लिए 81.38 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) भाग (क) में वर्णित राशि निम्न मदों पर खर्च की जानी है।

(i) नए खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों व स्तरोन्नत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन।

(ii) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

(iii) निर्माण कार्य।

(iv) स्कूल भवनों की मरम्मत व रखरखाव।

(v) बालिकाओं/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए मुफ्त पाठय पुस्तकें।

(vi) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री।

(vii) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूल ग्रांट।

(viii) प्राथमिक एवं माध्यमिक को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अध्यापक ग्रान्ट।

(ix) प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।

(x) समुदाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण।

(xi) अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

(xii) खण्ड तथा संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना।

(xiii) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

(xiv) प्रबंधन।

Opening of Schools under Sarv Shiksha Abhiyan

***1228. Sh. Padam Singh Dahiya**: Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to open new schools under Sarv Shiksha Abhiyan during the current financial year, if so, the number thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह): जी हां, वर्तमान वित्तीय वर्श में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 83 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

Construction of Mundhal and Dhani Hari Singh Minors

***1210. Sh. Shashi Parmer**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new minors in Mundhal Constituency:-

(i) Mudhal Minor; and

(ii) Dhani Hari Singh Minor

(b) if so, the time by which the aforesaid minors are likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्री मान् जी।

(ख) मुंढाल माइनर और ढाणी हरि सिंह माइनर के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा परियोजना के वर्श 2004 में पूरी होने की सम्भावना है।

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के पटल पर जो बिल्ज की कॉपीज भिजवायी हैं उनके बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये 15 दिन पहले ही मैम्बर्ज को दिलवा दी जाएं तो ठीक रहेगा। नियमों के मुताबिक भी ऐसा ही है कि अगर सदन के अन्दर सरकार कोई बिल लाती है तो उसको 15 दिन पहले ही मैम्बर्ज को दे देना चाहिए। इसके अलावा में आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि हमने आपकी सेवा में दुलीना में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया उसका क्या हुआ? यह प्रस्ताव मैंने और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आपकी सेवा में दिया है। लॉ एंड आर्डर के नाम पर और दुलीना हत्याकांड के बारे में हमारा यह प्रस्ताव है। इसी तरह से सूखे की स्थिति से निपटने में भी सरकार विफल रही है।

Mr. Speaker: Are you speaking on behalf on Congress Parly also?

Sh. Karan Singh Dalal: No Sir, I am speaking on behalf of myself. मैंने खुद ने लिखकर दिया है। आप चाहें तो डाकुमैन्अस मंगाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप अपने प्रस्ताव के बारे में बोलिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: मैं अपने ही प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछले सैशन में भी मैंने अना एक अतरांकित प्रश्न किया था जिसमें मैंने हरियाणा में भगोड़ों की जिलेवाइज नामों की स्थिति पूछी थी। उस समय आपने कहा था कि आपको इस बारे में जवाब लिखकर मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अपने जो अपना ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पैडी के बारे में दिया है वह मैंने एडमिट कर लिया है इसलिए अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, अगर आपने मेरा प्रस्ताव एडमिट किया है तो आपका धन्यवाद। सर, मेरे एक और सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है। दुलीना कांड की वजह से हमारे प्रदेश की पूरे नेशन में शेम हुई है और आज पूरा राश्ट्र हरियाणा प्रदेश की ओर और हमारी ओर देख रहा है। जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में वहां दलित लोगों की हत्या हुई है, उसकी वजह से पूरा प्रदेश शर्मसार है और हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। हमने इस बारे में आपकी सेवा में काम रोको प्रस्ताव

दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हमारा यह प्रस्ताव टेकअप किया जाए।

श्री अध्यक्षः आपका प्रस्ताव मुझे मिल गया है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बैठें।

चौ. बंसीलालः अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इस बारे में प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी, पहले तो आपका ही प्रस्ताव है बाद में श्री हुड्डा एंड अदर्स का है।

चौ. बंसीलालः अध्यक्ष महोदय, हम तो इस बारे में बोलने के लिए तैयार हैं। दुलीना कांड की वजह से सारे हिन्दुस्तान में शोर मच रहा है। पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था कि दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है? इस चीज के ऊपर फौरी तौर पर बहस करायी जाए। हमारा इस बारे में ही एडजर्नमैंट मोशन था।

श्री अध्यक्षः बंसीलाल जी, आप बैठिए।

कैप्टल अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारा एक प्रस्ताव सूखे के बारे में था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः सूखे के बारे में पिछले सैशन में भी एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव आया था। वह डिस्कस हो चुका इसलिये सूखे

के बारे मैं जो एडजर्नमैंट मोशन है डिसअलाड कर दिया गया है। इसलिए आप बैठिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में सूखे के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जहां तक सरकारी एजेंसियों द्वारा पैडी की परचेज के बारे में श्री कर्ण सिंह दलाल का कालिंग अटैंशन मोशन था वह एडमिट कर लिया गया है और इसी संबंध में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री भजन लाल, कैप्टन अजय सिंह और जीतेन्द्र मलिक का जो एडजर्नमैंट मोशन था वह कालिंग अंटैशन मोशन में कन्वर्ट कर लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, हमने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा देने में सरकार की असफलता के संबंध में एक और एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: वह डिसअलाऊ कर दिया गया है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आज सारा प्रदेश सूखे के बारे में चिंतित है और आपने सूखे के बारे में जो हमारा ऐडजर्नमैंट मोशन था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। सूखे का तो बहुत ही इम्पौटैंट मैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, हमने आपकी सेवा में एक और एडजर्नमैंट मोशन हरियाणा राज्य में जुए के स्थान कैसिनो–खोलने के मामले पर सरकार के निर्णय के संबंध में दिया था, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: वह भी डिसअलाऊ कर दिया गया है।

ध्यानाकर्शण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: मैं आपको आपकी सभी मोशंज के बारे में पोजीशन बता देता हूं।

I have received notices of calling attention motion from Sh. Bhupender Singh Hooda and three M.L.A.s regarding retrenchment of the employees, the same has been disallowed on the grounds that terms and conditions of service of the employees do not form the subject matter of a calling attention notice. Moreover, the matter is not of a recent occurrence.

I have also received notice of calling attention motion from Sh. Bhupender Singh Hooda and four other M.L.A.s regarding supply of power to the farmers, the same has been disallowed on the grounds that the adequate power supply is available to the farmers, for rabi crops. Moveover, in comparison to last year, there is increase in the supply of power to the farmers.

Hon'ble members I have received a calling attention notice from Capt. Ajay Singh and other M.L.A.s regarding in-equal distribution of water from Bhakra and Yamuna Canal,

the same has been disallowed onthe grounds that the matter is not recent occurrence, that the dharnas and protests etc. do nt form the subject matter of calling attention notice and that the matter is of a continuing nature.

अल्प अवधि चर्चा की सूचनाए

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैंने अंडर रूल 73A शार्ट डयूरेशन डिस्कशन के लिए कंस्ट्रक्शन आफ बिल्डिंगज बाई वायलेटिंग बिल्डिंग बाई–लाज के बारे में एक नोटिस दिया था, उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष: वह डिसअलाऊ कर दिया गया है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: इसके अलावा स्पीकर साहब मैंने अंडर रूल 73A रिगार्डिंग ओपनिंग आफ ए कैसिनो इन हरियाणा पर एक और शार्ट डयूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस दिया था, उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष: वह कमैंटस के लिए गवर्नमैंट को भेज दिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

चौ. बंसीलाल: अध्यक्ष महोदय, हमने ला एंड ऑर्डर के बारे में जो ऐडजर्नमैंट मोशन दिया है, वह बहुत ही जरूरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और अब भी बता देता हूं। मुझे आज दिनांक 30.10.2002 को दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक स्थगन प्रस्ताव श्री बंसीलाल व अन्य सदस्यों से तथा दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व अन्य सस्दयों से। इन दोनों स्थगन प्रस्तावों के नोटिस व एक्सप्लेनेटरी मैमोरेन्डम की भाशा तथा तथ्य एक ही हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो भी तथ्य इस प्रस्तावों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं वे निम्न आधार पर मान्य नहीं हैं, यह मैटर सडनली अराईज नहीं हुआ है। प्रभावित पार्टी यदि कोई है तो वह कोर्ट ऑफ ला से रैमेडी प्राप्त कर सकती है। इन तथ्यों से कोई इमरजैंट सिचुऐशन क्रियेट नहीं होती।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरी विपक्ष के साथियों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जब बोलें तो ये बीच में इन्ट्रप्ट कर करें। आपके रूलिंग देने के बाद यह बोल सकते हैं?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष ने नेात से अनुरोध करूंगा क वे अपने विधायकों को कानून समझाएं, थोड़ा सा उनको बताएं कि किस तरह से रहना चाहिए। जो ये माइक तोड़ा है इनको आदमियों का डॉक्टर कहें या पशुओं का डॉक्टर कहें। कौन सी संज्ञा में इनको गिना जाए। इसका फैसला मैं भजन लाल जी पर छोड़ता हूं कि ये डॉक्अर आदमियों का है या डंगरो का है। (विघ्न)

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले ऐडजर्नमैंट मोशन दी है उसका कया किया है, रिजैक्ट किया है या क्या किया है, फेट बताएं?

श्री अध्यक्ष: यह आई.पी.सी. की धारा 228–ए जो कि रेप के ऑफिस में प्रभावित हो, उनकी आईडैटिटी को डिस–क्लोज करना प्रभावित करता है। यह मैटर अपैक्स कोर्ट के जजमैंट in CW(CRI No. 362 of 1993) Delhi Domestic Working Women Forum Vs. Union of India & others में 19.10.1994 को डिसाईड हुआ था जिसमें स्पश्ट रूप से यह कहा गया है कि सभी केसों में जो रेप के बिक्टिम हों, उनकी पहचान गुप्त रखी जाये, की भावनाओं के विपरित है।

अतः माननीय सदस्यों ने महिलाओं का ध्यान न रखते हुए अपने स्थगन प्रस्तावों के नोटिस के साथ लिखे एक्सप्लेनेटरी मैमोरन्डम में ऐसे कई तथ्य उजागर किये हैं जो महिलाओं की जाति के सम्मान व भावनाओं के विपरित हैं।

उपरोक्त आधारों पर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए दोनों स्थगन प्रस्ताव डिस–अलाऊ किए जाते हैं। (विघ्न) चौ. बंसी लाल जी आप बोलें।

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आप तो कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसके लिए यह एडजर्नमैंट मोशन लाया जाये। सारा हिन्दुस्तान इन दलितों की हत्या से हिल गया है। सारे

हिन्दुस्तान मे ंकोलाहल मच गया है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि क्या हरियाणा में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो दलित जिन्दा रह सकता है, न सदन में कोई बात कह सकता है और इससे ज्यादा सूटेबल एडजर्नमैंट मोशन क्या हो सकता है? इससे सीरियस बात, गम्भीर बात हिन्दुस्तान में और क्या होगी? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैं आई.पी.सी. की धारा 228(a) पढ़ देता हूं।

चौ. बंसीलाल: अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। लेकिन यह बात ऐसी नहीं कि जिसे आप डिस–अलाऊ करें। डिसअलाऊ करने वाली बात नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी के खिलाफ प्रस्ताव ला नहीं सकते। लेकिन इसको रिजैक्ट करना बिल्कुल सरासर गलत है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप तो डिप्टी हैं अभी तो हुड्डा साहब बैठे हैं पहले आपके नेता को समय मिलेगा।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर सर, अभी चौ. बंसीलाल जी बोल रहे थे उन्होंने विक्टिम्ज का जिक्र किया और विशेशकर दलितों का जिक्र किया। स्पीकर सर, जिस बेस पर आपने इस मोशन को डिसअलाऊ किया है मेरे पास भी आई.पी.सी. की और सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट की कॉपी है और साथ में रिपोर्ट ऑफ दि रिजनल वर्कशाप ऑन जैनूडर एंड लॉ इन्फोर्समैंट की कापी है ये तीन रिपोर्टस हैं। चौ. बंसीलाल जी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद आप बोल सकते हैं जो इन्होंने बोलना है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे बाद इनको आप बोलने की इजाजत दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं ****

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठें। दलाल साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपने जो रूलिंग दी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं।

श्री रामकिशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: रामकिशन फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बंसीलाल जी एडवोकेट रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हुड्डा साहब भी एडवोकेट रहे हैं, पढ़े लिखे ओर तजुर्बेकार हैं, मेरे पढ़ने के बाद इनको कुछ कहना हो तो कह लें। अध्यक्ष महोदय, आपने IPC की धारा 228 (ए) का हवाला दिया है, इसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। बंसीलाल जी, आप ध्यान से सुन लें उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि स्पीकर साहब ने जो इस मोशन को डिसअलाउ किया है, ठीक ही किया है, मेरे इस धारा को पढ़ने के बाद इनको कुछ कहना हो तो कह लें। IPC की धारा 228 (ए) में लिखा है –

"Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence u/s 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C or Section 376-D, is alleged or found to have been committed (hereafter in this Section referred to as the

victim) shall be punished with imprisonmnet of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine".

अगर रेप विक्टिम जिसका रेप हुआ है उसकी आईडैंटीटी बाय वे आफ पब्लिशिंग या बाय वे आफ प्रिंटिंग डिस्क्लोज कोई करता है तो इसमें लिखा है कि उसको 2 साल तक की सजा इस सैक्शन के अंडर हो सकती है। विधान सभा में इन्होंने एक्सप्लेनेटरी मैमोरैण्डम दिया है, उसमें पूरा एड्रैस पूरा नाम, पिता का नाम, वी.पी.ओ. और जिला सारी चीजें देने के बावजूद ये कहते हैं तो यह ओफैण्डेबल ओफैन्स है और कानून के अगेंस्ट आप एडमिट करते हैं तो जो माननीय सदस्य चाहेंगें वह जॅचता नहीं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आई है उसमें लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। ****

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप कैप्टल साहब को बिठाएं। कैप्टन साहब, आपके लीडर को बोलने का समय दिया जाएगा।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यानि सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आई है उस केस का नाम है Delhi Domestic Working Women's Forum Versus Union of India and others. यह 1994 की जजमैंट है और 1993 में यह केस किया गया था। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बलात्कार से सम्बन्धित मामले में बलात्कार की शिकार महिला की पहचान गुप्त रखी जाए। IPC की धारा 228 (ए) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एकमात्र उदेश्य उसमें निहित भावना यही थी कि बलात्कार की शिकार महिला को सार्वजनिक उपहास का कारण बनने से बचाया जाए और उसकी मान मर्यादा सुरक्षित रखी जाए। दोनों पार्टियों की तरफ से जो एडजर्नमैंट मोशन दी गई है उसमें बलात्कार की शिकार बच्चियों को पूरा नाम, पता और पहचान दी गई है जो कि IPC की धारा 228 (ए) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरूद्ध जाती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सैमीनार का जिक्र किया in the report of the Regional Workshop on Gender and Law Enforcement held at Chandigarh on 23-24 February, 2001, it is mentioned –

"Sensitization in dealing of rape cases: The Police should take legal action against those who publicize the name of the rape victim without her permission, as it is already cognizable offence and sensitization of the press."

अब आप बतायें कि इसके बावजूद भी क्या यह मोशन डिस्कशन के लिये अलाऊ करना बनता है? ओफैंस की बात, इल्लीगल बात और अन–कान्स्टीच्यूशनल बात को स्पीकर साहब क्या आप डिस्कशन के लिए अलाउ कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: मैं इसे डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं कर सकता।

चौ. बंसी लाल: चौ. सम्पत सिंह जी इण्डियन पीनल कोड पढ़ रहे हैं। इन्होंने तो एक ही दफा पढ़ी है, इसमें 511 दफा हैं। इनकी इत्तला के लिए बता दूं एक दफा नहीं है। हमारा जो एडजर्नमैंट मोशन है, स्पीकर साहब, regarding break down of law and order and failure of constitutional machinery in the State Not only about five killings; Five killings, is one of the main things, but there are others also. जो Rule 66 and 67 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemly के तहत हमने दिया है। And Rule 66 says:

"66. Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

इसमें हमारे एडजर्नमैंट मोशन में क्या लेकूना है, वो बता दें आप अध्यक्ष महोदय, अगर यही मामला अर्जैंट इम्पोर्टैंस का नहीं है, जब प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि क्या दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है, तो और कौन सा है? उप प्रधानमंत्री

कह रहे हैं कि इन्क्वायरी करवाओ और मेहम के पास खरकड़ा गांव में दिन के 10.30 बजे गोली मारी जाती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी किलिंग्ज की बात कर रहे हैं और इन्होंने जो मोशन दिया है उसमें रेप का जिक्र किया है। स्पीकर साहब, इनको आई. पी.सी. की सैक्शन 228 (ए) भी पढ़कर सुनायी गयी है लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसीलाल जी बदकिस्मती से लॉ ग्रेजुएट हैं। इनको यह किताब पढ़ती चाहिए।

चौ. बंसी लाल: ब्रूट मजोरिटी के दम पर जो मर्जी कहें। कोई डैमोक्रेटिक प्रिन्सीपल, कोई पार्लियामैंटरी प्रिंसिपल इस मोशन को डिस–अलाउड नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, प्लीज आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौ. बंसी लाल से अनुरोध करूंगा कि यह किताब इनके पास भिजवा दी जाये। ये इसको पढ़ लें। ये किलिंग पर जा रहे हैं या रेप, प्लीज ये इस बोर में सदन को बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप सभी बैठिये। लीडर ऑफ दी हाउस बोल रहे हैं। उनकी बात सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसीलाल जी ने अभी किलिंग का जिक्र किया है और इन्होंने आपको जा मोशन दिया है उसमें इन्होंने रेप का जिक्र यिका है और उसमें विक्टिम्ज के नाम भी लिखे हैं। जो आई.पी.सी. का सैक्शन 228(ए) पढ़कर सुनाया गया है वह इनकी समझ में नहीं आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) क्या उस सैक्शन के तहत इनका मोशन अलाउ होगा, ये इस बारे में बता दें।

कैप्टल अजय सिंह यादव: मोशन में दोनों को जिक्र किया गया है, इसमें किलिंग की भी बात है और रेप की भी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कैप्टल साहब बे–वजह ही मुझे टोक रहे हैं। मैं इनसे बात नहीं कर रहा। मैं तो लॉ ग्रेजुएट से बात कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की परमिशन दी है फिर भी कैप्टल साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे और मुझसे आपकी परमिशन के बगैर ही सीधी बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टल साहब जो कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ****

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: चेयर की परमिशन के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। वह रिकार्ड न किया जाये। हुड्डा साहब, प्लीज आप अपने सदस्यों के बैठायें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ****

Prof. Sampat Singh: Sir, this is a very derogatory remark to the Chiar.

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, आप चेयर की इजाजत के बगैर न बोलें। आप सीट पर बैठै–बैठे बोलते रहते हैं, यह गलत है। (शोर एवं व्यवधान) चेयर की परमिशन के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। आप सभी बैठ जाएं। सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सर्व–प्रथम मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से और विपक्ष के सदस्यों से खासतौर पर कहूंगा कि बिना चेयर की परमिशन के बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप बैठिये। (विघ्न) आपका तरीका भी ऐसा ही है क्योंकि आप भी बिना परोमोशन के

खड़े हैं। (विघ्न) चौ. साहब, आपको किसने इजाजत दे दी। (विघ्न) सारे एक जैसे ही हैं। (विघ्न) गुप्ता जी, आप बैठिए आपको भी समय देंगे (विघ्न) लीडर ऑफ दि हाउस जब खड़े होते हैं तो दूसरे मैम्बर्ज बैठ जाते हैं, यह परम्परा रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक फैसला किय है कि अगर मैं सीखूंगा तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान शख्स कोई नहीं होगा। (विघ्न) लेकिन मैं चौ. बंसी लाल जी की बात कह रहा था। उन्होंने दूसरे मुद्दे को उठाया है और सम्पत सिंह जी ने दूसरे का जिक्र किया है। अब आप फिलिंग्ज की बात करें। चौ. बंसी लाल जी उतावले हो रहे हैं हालांकि यह बात अभी कहने की नहीं थी लेकिन चौ. बंसी लाल जी, दुलीना काण्ड पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं। 19 अक्तूबर को श्री बंसी लाल जी ने विश्राम गृह हांसी में पत्रकारों को सम्बोधित किया और कहा था कि जिला झज्जर में मारे गए पांच व्यक्तियों के बारे में सरकार ने कमीशन नियुक्त कर दिय है मैं इसमें राजनैतिक रोटियां सेंकना नहीं चाहता। (विघ्न) एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। इनकी पार्टी के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। चौ. मनफूल सिंह, जो इनके समधि भी हैं। 19 अक्तूबर को श्री मनफूल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, हविपा ने गांव दुलीना, जिला झज्जर में कहा थ कि वहां पर जो कुछ हुआ, वह गलत है और अगर वहां पर पुलिस फायरिंग होती तो ज्यादा नुकसान होता। इस मामले में जांच सी.बी.आई. के करवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य

सरकार से पहले जांच करवाई जानी चाहिए। चौ. बंसी लाल जी को आज वह काण्ड दिखाई दे गया है। 19 अक्तूबर को आप कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है। पहले आप सोच तो लिया करें कि आपने पहले क्या कहा था और आज क्या कहने जा रहे हैं। आप थोड़ा सोचा करें।

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह बात याद दिलाई कि मैंने क्या कहा था। (विघ्न) मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है और मेरा प्वांयट भी है।

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी, सुनिये रिस्ट्रिक्शन भी हैं। (विघ्न) एडजर्नमैंट मोशन में रिस्ट्रिक्शन्ज भी है।

चौ. बंसी लाल: मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बंसी लाल ने यह कहा है कि मैं इसमें राजनैतिक रोटियां सेंकना नहीं चाहता। जब तक मेरे पास फैक्टस नहीं थे तब तक मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोला। जब सरकार के खिलाफ फैक्टस मेरे पास आ गए हैं, तो मैं बोला हूं। मैंने रूल पढ़कर सुना दिया है। (विघ्न) पहले आप मेरी बात सुनिये। मैंने रूल 66 और 67 का हवाला दिया है जिसके तहत हमने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। हमारे नोटिस में हमने यह लिखा है

"The Law and Order situation in the State is deteriorating day by day and the graph of heinous crime has gone up due to which the people of Haryana are feeling insecure and their lives and properties ar eat stake. The

incidents of murders, rapes, decoities, robberies, thefts, burglaries, extortions, kidnapping for ransom, car snatching in day light (interruption) looting of passengers in the trians" (interruption)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कह रहे हैं? आप अभी बैठें। (विघ्न)

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा प्वायंट सुनियें (विघ्न)। आप मेरी बात भी सुनिए। मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेश्न भी सुनिए (विघ्न) ****

श्री अध्यक्ष: कृपया सुनिये आप आप बैठिए। (विघ्न) मैं रूल 68 पढ़ता हूं आप सुनिये। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह: सर, चौ. बंसी लाल जी ने चेयर के प्रति जो कहा है वह रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए। ये एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी ने चेयर के प्रति जो कहा है वह रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) चौ.साहब, मैं आपको रूल 68 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly में से पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है –

(iii) the motion shall restricted to a specific matter of recent occurrence;

(iv) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law;"

चौ. बंसी लाल: स्पीकर सर, मैंने भी तो रूल का ही हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, कोल एण्ड शकधर की बुक में भी यही लिखा हुआ है। This is matter of Law and Order in the State. Strike, Lock-outs, fasts and agitations and matter of day to day administration do not constitute and adjournment Motion.

This is a day to day administrative matter. (interruption) Moreover, more than on notice of Adjournment Motion cannot be raised in the house in a sinble sitting. जहां कुछ अधिकार हैं वहां कर्त्तव्य भी हैं। You know the rights and duties are corelated (interruption) You have the right to move the Adjournment Motion, but there are some grounds on which the Adjournment Motion can be withheld (interruption) अब आप बैठिए (विघ्न)

16.00 बजे

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें यहां पर बोलने का राईट है। लेकिन मेरा माईक टूटा हुआ है इसमें कहीं करंट तो नहीं है। इस बारे में चैक कर लिया जाए। इस माईक के टूटे होने की वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, अगर भजन लाल जी का राज होता तो इस माईक के तोड़ने पर आप पर प्रिवलेज बन जाता। आप एक नेक इन्सान हैं इसलिए आप पर ब्रीच ऑफ प्रिवलेज का मामला नहीं बनाया जा रहा है।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इन माईक के लगाने में कही कोई कमिशन वगैरह तो नहीं खाई गई।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी आप इस बात का शुक्र मनाओ कि चौ. भजन लाल जी का राज नहीं है नहीं तो आप पर ब्रीच ऑफ प्रिवलेज बन जाता। (शोर एवं व्यवधान) आप सम्पत सिंह जी से इस बारे में पूछ सकते हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (**इस समय श्री रघुबीर सिंह कादियान बोलते बोलते वैल में आ गए।**) आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। आप पर ब्रीच ऑफ प्रिवलेज नहीं बनाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैंठे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटैक्शन चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको प्रोटैक्शन मिलेगी। (विघ्न) पैडी परचेज के बारे में। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के नेता समय पर बोलने से चूक जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं। जब समय आता है तो ये बोलने के लिए खड़े ही नहीं हाते हैं। जब ये बोलने के

लिए खड़े ही नहीं होते हैं तो दूसरे सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके आई.पी.सी. भी नहीं मांगा था फिर भी मैंने आपके मांगे बिनाही खुद आपके पास आई.पी.सी. भिजवा दिया। आप इसमें 228–ए पढ़ लें। रघुबीर सिंह को भी पढ़वा लेना। मैंने तो यह खुद भिजवा दी है। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप बैठ जाए। आपको बोलने का समय नहीं दिया जा गया है। आप बिना इजाजत के ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने रूलिंग दे दी है और आपकी एडजर्नमैंट मोशन डिसअलाऊ हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) राम किशन जी आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) चौ. भजन लाल जी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी: ****।

श्री भजन लाल: ****।

श्री अध्यक्ष: ये जो भी बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टल अजय सिंह यादव: ****।

श्री अध्यक्ष: कैप्टल साहब आप बैठ जाएं। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। आप सब बैठ जाएं सदन के नेता बोलेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, आपने इनके एडजर्नमैंट मोशन को डिसअलाऊ कर दिया है लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और विपक्ष के सदस्य आई.पी.सी. की धरा 228(ए) पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। स्पीकर साहब, आपने इनका एडजर्नमैंट मोशन आई.पी.सी. की धारा 228(ए) के अनुसार डिसअलाऊ किया है और ये आई.पी.सी. की धारा 228(ए) पर बोलना चाहें तो उसी पर ही बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भूपेन्द्र सिंह जी, आपने आई.पी.सी. की धारा 228(ए) को पढ़ा है और आप इसी पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप इसकी इन्टरप्रैटेशन कर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमैंट मोशन दी थी और हम यहां पर उस पर बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है जोकि दुलीना में हुआ है। हम दुलीना कांड पर बोलना चाहते हैं। हमारा एडजर्नमैंट मोशन है जो लॉ एंड आर्डर के बारे में था उकसो आपने डिसअलाऊ कर दिया है, उसमें दुलीना कांड की भी चर्चा है और मुख्य रूप से उसमें मैंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी हमें बात करनी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक आई.पी.सी. की धारा 228(ए) में कहा है और

उसमें चर्चा है, मंत्री जी ने भी कहा है कि यह आई.पी.सी. की धारा 228(ए) में यह होगा। इसमें एफ.आई.आर. भी दर्ज हैं। ****

श्री अध्यक्ष: आप आई.पी.सी. की धारा 228 (ए) पर बोलना चाहते हैं तो बोल लें। अगर ये उसके अलावा कुछ और बोलें तो वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ****।

श्री अध्यक्ष: ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है। हुड्डा साहब, आप आई.पी.सी. का धारा 228–ए के बारे में अगर कहना चाहें, तो कहें। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ****

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मैंने इस बारे में रूलिंग दे दी है इसलिए आप बैठे। आप धारा 228–ए के बारे में बोलना चाहें तो बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं हिन्दुस्तान के कानून की और संविधान की उल्लंघना नहीं कर सकता। आप चाहें उल्लंघना करें लेकिन मैं नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ****

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप महिलाओं की भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहें तो ही अच्छा होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ****

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, ये चेयर की परमिशन के बगैर बोल रह हैं इसलिए इनकी बात को एक्सपंज करवाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ****

श्री अध्यक्ष: बगैर परमिशन के जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न करें। हुड्डा साहब, आप बैठिए। दलाल साहब, आप पैडी परचेज के बारे में अपना कालिंग अंटेशन मोशन पढ़ें।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के श्री रघुबीर सिंह कादियान, श्री धर्मबीर एवं हरियाणा विकास पार्टी के श्री रामकिशन फौजी सदन की वैल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, यह कांस्ट्रीच्यूशनली मशीनरी का ब्रेक डाउन है। सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह ब्रेक डाउन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। जो खुद ब्रेक डाउन करते हैं। वे क्या ब्रेक डाउन की बात करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी: स्पीकर साहब, पांच दलितों को वहां पर मारा गया है। (शोर एवं व्यवधान) पांच दलितों को मौत के घाट उतारा है। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउटस

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो हम यहां पर बैठकर क्या करेंगे? हम इसके विरोध में वाक आउट करेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आप वाक आउट करेंगे या बैठेंगे?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, आई.पी.सी. की धारा 228–ए पर क्या मुझे आप बोलने का मौका दे रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे आई. पी.सी. की धारा 228(ए) के बारे में कुछ कहने की इजाजत देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राव साहब, मांगेराम जी भी वाक आउट करके जा रहे हैं क्या आप भी वाक आउट कर रहे हैं इस बारे में आपकी बात सलाह है? यदि आप एक वाक आउट नहीं कर रहे हैं तो बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

चौ. बंसीलाल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौ. बंसीलाल: अध्यक्ष जी, आप हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम भी ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक–आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से वाक–आउट कर गए।)

चौ. जगजीत सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जगजीत सिंह सांगवान की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौ. जगजीत सिंह सागंवान: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं भी ऐज ऐ प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय राश्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक–आउट कर गए।)

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल आप बैठ जाइए। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने और चौ. बंसी लाल जी ने विद हिज फौजी बॉडी गार्ड वाक आउट किया है और इन्होंने वाक–आउट यह कहकर किया है कि आई.पी.सी. की धारा 228(ए) जो है हम उसको नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब फैसला आया है। आजकल तो स्पीकर सर, मीडिया आपके सामने बैठा है ईवेन मीडिया भी अखबार में नाम नहीं देता। चाहे एफ.आई.आर. दर्ज भी है तो भी मीडिया में पूरा ऐड्रस नहीं आयेगा, नाम भी नहीं आता।

काल्पनिक नाम देते हैं कि फलां नाम काल्पनिक। उसकी आइडैंटिटी मीडिया भी डिसक्लोज नहीं करता। क्यों नहीं करता क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है। वह 228(ए) के अर्गेस्ट है अदरवाइज मीडिया भी करता और फिर भी यह कहना कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है सरकार बाकायदा जिम्मेदारी निभा रही है। जिम्मेदारी अपोजीशन नहीं निभा रहा है। लीडर ऑफ दि अपोजीशन के कहने पर सैशन कॉल किया गया। इन्होंने कहा था कि पैडी प्रिक्योरमैंट के लिए सैशन बुलाओ। मुख्यमंत्री जी ने नैक्स्ट डे कह दिया कि हम सैशन बुलाते हैं हम लीडर ऑफ दि अपोजीशन की कद्र करते हैं। ये जो बात बाहर करते हैं वही आकर अंदर करते हैं। असैंबली सैशन खत्म हुए कोई 15 दिन नहीं हुए हैं दो महीने हो गए हैं एक तो अपोजीशन का सवाल नहीं है ये दोनों अनलिस्टिड नहीं हैं दोनों डेटस के अन्दर हैं और इनकी सीरियसनैस इस बात से नजर आ रही है कि इन्होंने एक भी सवाल नहीं दिया। रॉइट विक्टिम के नाम को गायब कर रहे हैं। अदर विक्टिम्स का नाम ले रहे हैं। उसको अवाइड नहीं किया जा सकता है। यह भी पार्ट एण्ड पार्सल था इसलिए वह अवैध चीज था और किसी अवैध चीज को विधान सभा के अन्दर तो क्या बाहर भी डिसकस नहीं किया जा सकता है यह कानूनन जुर्म है और ऐसा करने पर दो साल की सजा हो सकती है। स्पीकर सर, इन लोगों को मालूम नहीं है। They should know the rules, they should know the Constitution and they should know the Indian Penal Code. (विघ्न) अध्यक्ष महोदय,

इनको बताएं कि असैंबली में क्या बोलना है। क्या मैंटर इंट्रोडयूस करना है। क्या कंटैंटस होने चाहिएं तो Speaker Sir, they should be taught. इनको ऐसी कोई शिक्षा दें, कोई कांफ्रेंस करें, कोई सम्मेलन बुलाएं, कुछ ऐसा करें, ताकि गैर जिम्मेवाराना तरीके से इस तरह के रैजोल्यूशन न दिये जाएं जिससे विशेशकर औरत जाति को कलंक लगे। ये लोग औरत जाति को इस किस्म का कलंक लगा रहे हैं। इन लोगों ने यह बात कह कर यह साबित कर दिया कि ये महिलाओं की कितनी कद्र करते हैं। ये महिला विरोधी हैं, बच्चे विरोधी हैं। ये दलितों के विरोधी है, समाज के विरोधी हैं, कानून के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं, ये क्या बात कर रहे हैं इनकी सारी बातें कन्डमनेबल हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने आई.पी.सी. की धारा 228(ए) के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ****

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब जो कह रहे हैं उसका रिकार्ड न किया जाये।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, इसमें माईनर का दिया हुआ कि माईपर का गारडियन अप्वायंट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: गारडियन अप्वायंट करने में आठ महीने लग जाते हैं आपने इसको अच्छी तहर से पढ़ा नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आई.पी.सी. की धारा 228(ए) का जिक्र किया है मैं उसके बारे में उनका ध्यान दिलाया चाहता हूं उसकी Sub Clause (2) में लिखा हुआ है कि "Nothing in sub-section (1) extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is –

(a) by or under the order in writing of the officer in the charge of the police station or the police officer making the investigatio into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation; or

(b) by, or with the authorisation in writing of, the victim; or"

श्री अध्यक्ष: एथोराइज किसने किया है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उसके मां–बाप ने एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है और पुलिस आफिसर ने दर्ज की है।

Mr. Speaker: Police Officer has the direct power. You are not a Police Officer.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस क्लॉज को पूरा पढ़ने दें इसके पार्ट सी में लिखा है कि "where the

victim is dead or minor or of unsound mind, by or with the authorisation in writing of, the next of kin of the victim; (interruption). She is dead. She is minor."

Mr. Speaker: Have you some authorization to disclose the identification?

Prof. Sampat Singh: Speaker Sir, please ask him whether he is having any authorization to disclose the identifications? He is a Law Graduate and after that he is talking without authorisation.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक लड़की की हत्या हो चुकी है।

Prof. Sampat Singh: Speaker Sir, without any authorization he cannot disclose the identification.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिये।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माइनर के नैक्सट किन की एथोरिटी चाहिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हम आपकी इस बात से संतुश्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने सदन के हित की बात की है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जो हुड्डा साहब कह रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ****

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या विधानसभा में इल्लीगल, अनकांस्टीच्यूशनल बात को टेक अप किया जा सकता है। Sir, whether unconstitutional things or unconstitutional papers can be discussed in the House. (Interruption)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, क्या इनकी सारी बातें लीगल हैं और हमारी सारी बातें इल्लीगल हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Karan Singh Dalal, please sit down. It is irrational thing; we should not discuss such type of matters in the House.

Prof. Sampat Singh: We are already protesting agaisnt Section 228-A.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे अर्ज है कि IPC की धारा 228 ए पर चर्चा करने का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बैठें, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। जय प्रकाश जी, जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने जो इंटरप्रिटेशन दी है उसके बारे में आप अपनी रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कोई बात रिकार्ड न की जाए। जो भी मैम्बर बिना परमीशन के बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

Prof. Sampat Singh: Sir, you have already disallowed their resolution that was against the advice of the Hon'ble Supreme Court, against the IPC and against the Hon'ble Supreme Court's Judgement of 1994. The matter is closed.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, IPC की धारा 228(ए) में साफ लिखा है कि जिसका रेप हुआ है, हम उसका नाम यहां डिसकस नहीं कर सकते। आपने नाम दिए हैं और IPC की धारा 228(ए) में यह साफ लिखा हुआ है कि यह पनिशेबल है। यह सब्जैक्ट विधान सभा में डिसकस करने का नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, किसी का मर्डर हो जाए तब भी क्या हम यहां उस मामले को डिसकस नहीं कर सकते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़े। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अखबार में नाम दर्ज होता है और बाईनेम एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: अखबार में काल्पनिक नाम होता है।

श्री अध्यक्ष: नाम से एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है लेकिन नाम पब्लिश नहीं कर सकते।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपने जो निर्णय ले लिया, जो एडजर्नमैंट मोशन डिसअलाऊ कर दिया गया, उसके बारे में जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। (विघ्न) जब ये बोल रहे थे तब आप सदन में नहीं थे, आप वाक आउट कर गए थे, आप तो बाथरूम में चले जाते हैं, आपका आना जाना लगा रहता है। आपको जब बुलाते हैं तो आते नहीं और नहीं बुलाते तो जाते हैं। ये भूपेन्द्र सिंह हुड्डा थोड़ी है जो भाग जाता है। (विघ्न) मैं यही बैठकर छाती पर मूंग दलूंगा और 8 साल तक दलूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी मेरा नाम ले रहे हैं ****

श्री अध्यक्ष: भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

1994 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमैंट है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाईट करना चाहूंगा जिसमें लिखा है।

"Rape is an experience which shake the foundations of the lives of the victims. For many, its effect is a long term one, impairing their capacity for personal relationship, altering their behaviour and values and generating endless fear. In addition to the trauma of the rape itself, victims have had to suffer further agony during legal proceedings."

Further, it is mentioned –

"In all rape trails anonymity of the victim must be maintained, as far as necessary."

ट्रायल के अंदर भी गुप्त रखना पड़ता है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। We should abide by the law. (Interruptions)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव – राज्य में विशेशकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान न खरीदने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members I have received a calling attention notice from Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding the non-purchasing of paddy by the Government

Agencies in the State especially in Faridabad district. I admit it. Sarvshri Bhupender Singh Hooda, Bhajan Lal, Capt. Ajay Signh Yadav and Jitender Singh Malik have also given a notice of adjournment motion on the similar subject which has been converted into Calling Attention Motion and they can raise questions. Sh. Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस राज्य में विशेशकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप किसान अपना धान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से कम कीमत पर निजी व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

मामले के अतत्यावश्यक लोक महत्व के दृश्टिगत मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): इस बारे में यह स्पश्ट किया जाता है कि राज्य की मण्डियों में दिनांक 28.10.2002 तक 19.87 लाख टन धान की आवक हुई जिस में 15.47 लाख टन लैविएबल तथा 4.40 लाख टन बासमती किस्म का धान था।

लैविएबल पैडी की कुल आवक में से सरकारी एजैन्सियों ने दिनांक 28.10.2002 तक 12.86 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद किया है जो कि कुल आवक का 83 प्रतिशत है और बि तक की सर्वाधिक खरीद है जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। प्राईवेट व्यापारियों ने केवल 2.61 लाख टन धान, जो कि कुल आवक का 17 प्रतिशत है, खरीदा है ओर अधिकतर यह धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर खरीदा गया है। अतः माननीय सदस्य को यह कहना कि सरकारी खरीद एजैन्सियां राज्य में धान की खरीद नहीं कर रही। ठीक नहीं है।

2. भारत सरकार के निर्णय अनुसार इस वर्श न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद दिनांक 1.10.2002 से आरम्भ हुई। भारत सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनांक 28.9.2002 को घोशित किए गए जो कि गत वर्श के समर्थन मूल्य ग्रेड–ए 560 रूपये तथा कोमन 530 रूपये प्रति क्विंटल के बराबर रखे गये। किसानों को धान के उचित दाम दिलाने हेतू आदरणीय प्रधान मंत्री जी के साथ दिनांक 30.9.2002 को बैठक की गई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जोर दिया और अन्ततः नियम समर्थन मूल्य पर 20 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी विशेश सूखा राहत के रूप में की गई। यद्यपि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से औपचारिक पत्र दिनांक 12.10.2002 को प्राप्त हुआ परन्तु राज्य सरकार ने किसानों को 20 रूपये प्रति क्विंटल की अदायगी सीजन के आरम्भ से ही

करने का निर्णय लिया तथा किसानों को इसकी अदायगी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ की जा रही है। भारत सरकार ने दिनांक 24.10.2002 को लैवी चावल के मूल्य भी घोशित कर दिये हैं जोकि ग्रेड–ए चावल के 1022.80 रूपये और कोमल चावल के 974.30 रूपये क्विंटल हैं और यह गत वर्श की तुलना में क्रमशः 33.701 रूपये व 35.20 रूपये प्रति क्विंटल अधिक है।

3. राज्य सरकार ने धान की खरीद हेतू व्यापक प्रबन्ध किये हैं। धान की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतू इस वर्श 220 मण्डियां खोली गई हैं जो कि 6 खरीद एजैन्सियों में उनके हिस्से के अनुसार आबंटित की गई हैं। जिन में खाद्य विभाग 20 प्रतिशत, हैफेड 33 प्रतिशत, हरियाणा वेयर हाउसिंग 9 प्रतिशत, हरियाणा एग्रो 9 प्रतिशत, कानफेड 9 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम 20 प्रतिशत है। पर्याप्त मात्रा में बारदाना तथा पैकिंग मैटिरियल, परिवहन तथा मजदूरी इत्यादि के प्रबन्ध समय पर किये गये हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि धान की ढेरियों की बोली दिन में कम से कम दो बार 11.00 बजे व दोपहर बाद 3.00 बजे प्रतिदिन हो तथा यह व्यवस्था सभी रविवार और छुट्टी वाले दिन भी की जाये। मण्डियों में खरीद सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने हेतू राज्य व जिला स्तर पर 24 घंटे कार्यरत सूचना कक्ष खोले गये हैं।

4. खरीद एजैन्सियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उनको आबंटित मण्डियों में धान की खरीद निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करें और यह सुनिश्चित करें कि किसान को किसी

प्रकार की कठिनाई न आये और उन्हें मजबूरी में अपनी उपज औने–पौने दामों पर न बेचनी पड़े। भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि क्षतिग्रस्त, रंगहीन, हरे कच्चे, संकुचित तथा सुकड़े दानों की मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनीं चाहिए और निम्न श्रेणी के दानों का मिश्रण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी खरीद एजैन्सियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि कोई धान की ढेरी निर्धारित माप दण्डों के अनुसार न हो तो किसानों को इसे साफ करने तथा सुखाने की सलाह दें जिस के लिए बिजली के पंखों व झरनों इत्यादि सुविधा प्रत्येक आढ़ती के पास उपलब्ध करवाई गई हैं। सरकार ने यह प्रयास किया है कि किसानों को अपनी उपज सूखी और साफ सुथरी लाने बारे शिक्षित किया जाये और इस प्रयोजन हेतू सीजन के प्रारमभ में हिन्दी के सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन भी दिये गये।

5. खरीद प्रक्रिया के समन्वय और इसे सुचारू बनाने हेतू राज्य के वरिश्ठ अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों, खरीद एजैन्सियों के प्रमुखों, मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों और यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मन्त्रीगण एंव विधायकों द्वारा मण्डियों का लगातार दौरा किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुक्त खाद्य, निदेशक खाद्य और खरीद एजैन्सियों के प्रमुखों और उपायुक्तों के स्तर पर धान की खरीद की निरन्तर समीझा की जा

रही है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई शिकायत अथवा कठिनाई नोटिसस में आती है तो उस का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपल की अदायगी 48–72 घंटे के बीच की जा रही है और इस बारे में कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

6. यह बात भी उल्लेखनीय है कि वर्श 1998–99 तक सरकारी एजैन्सियों ने लैविबल धान की खरीद केवल 5 से 7 प्रतिशत तक ही की है। परन्तु इस वर्श सरकार एजैन्सियों द्वारा रिकार्ड तोड़ 83 प्रतिशत धान की खरीद की गई है। वास्तव में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात ही सरकारी एजैन्सियों द्वारा लैविएबल धान की खरीद में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ सालों के धान की खरीद से सम्बन्धित आंकड़े नीचे प्रस्तुत किये जाते है:–

(आंकड़े लाख टनों में)

क्र.स.	वर्श	कुल खरीद	सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद की मात्रा	कुल का प्रतिशत	खरीद कीमत
1	1992–93	17.10	0.43	3	12.47 करोड़

				प्रतिशत	
2	1998–99	17.19	1.12	7 प्रतिशत	52.24 करोड़
3	2000–01	26.29	13.62	52 प्रतिशत	736.56 करोड़
4	2001–02	23.36	15.75	67 प्रतिशत	882.00 करोड़
5	2002–03	15.47	12.86	83 प्रतिशत	745.00 करोड़
(28.10.02 तक)					

7. सरकार द्वारा धान की खरीद बारे पुख्ता प्रबन्धों के कारण खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कहीं से भी किसानों की किसी कठिनाई अथवा डिस्टैस सेल बारे शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लैविएबल धान के अतिरिक्त किसानों को बासमती एंव अन्य अच्छी किस्मों के धान के भी उचित मूल्य मिल रहे हैं। बासमती धान 1500 रू. प्रति क्विंटल तक, पूसा बासमती (मुच्छल) धान 1100 रूपये प्रति क्विंटल और शराबती धान 700 रूपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है।

8. जहां तक फरीदाबाद जिले का सम्बन्ध हैं, दिनांक 28.10.2002 तक इस जिले की मण्डियों में 25199 टन धान की

आवक हुई है जिसमें सरकरी खरीद एजैन्सियों ने 4663 टन धान की खरीद की है और बाकी धान प्राईवेट व्यापारियों ने खरीदा है। वास्तव में मण्डियों में आने वाला धान निर्धाथ्रत माप दण्डों के अनुरूप नहीं है। इस धान में नमी की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत के बीच है और क्षतिग्रस्त व हरे दानो की मात्रा 10 से 20 प्रतिशत है जो कि सफाई आदि के बावजूद भी निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप नहीं लाया जा सकता। मण्डियों में आने वाले धान की लगभग 6. से 70 प्रतिशत आवक यू.पी. से हो रही है और इस धान की क्वालिटी हरियाणा के धान के मुकाबले में निम्न स्तर की है। गत वर्शो में फरीदाबाद जिले की मण्डियों में धान की आवक व खरीद का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	वर्श	कुल आवक	सरकारी एजैन्सियों द्वारा की गई खरीद
1	1998–99	59379	465 (0.8 प्रतिशत)
2	1999–2000	90198	6268 (7 प्रतिशत)
3	2000–01	126987	9384 (7 प्रतिशत)
4	2001–02	140675	17051 (12 प्रतिशत)
5	2002–03 (28.10.02	25199	4663 (19 प्रतिशत)

	तक)		

9. यहां पर सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद एवं खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने हेतू उठाये गये विशेश पगों का भी वर्णन करना उचित होगा जो कि इस प्रकार है:–

(क) वर्शा से प्रभावित चमक रहित गेहूं की खरीद – किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकारी एजैन्सियों द्वारा 2001–02 में वर्शा से प्रभावित व चमक रहित 64.11 लाख टन गेहूं की खरीद की गई जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। सरकार के प्रयासों से इस गेहूं में से लगभग 54.00 लाख टन गेहूं का प्रेशण भी किया जा चुका है।

(ख) भण्डारण क्षमता में वृद्धि – चूकि खाद्यान्नों की खरीद में लगातार वृद्धि हो रही है इसलिए वर्तमान सरकार ने भण्डारण की व्यवस्था पर विशेश बल दिया है। गोदाम क्षमता में वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है:–

1990–91 से 1998–99 की अवधि में	0.77 लाख टन
199–200 से 2000–01 की अवधि में	1.48 लाख टन

2001–02 की अवधि में	12.80 लाख टन

(ग) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा – सरकार के विशेश प्रयासों के हैफेड को खाद्यान्नों की निर्यात संस्था घोशित किय गया है। हैफेड ने वर्श 2002–2003 में 1.00 लाख टन चावल व 1.00 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्नों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो कि निम्न प्रकार से है :–

			(लाख टन में)
वर्श	चावल	गेहूं	कुल
2000–01	1900	6935	8835
2001–02	490823	93489	584312
2002–03	1136532	208871	1345403

(घ) सरसों की खरीद के विशेश प्रबन्ध – यह देखने में आया था कि सरसों की खरीद के समुचित प्रबन्ध नहीं थे। वर्तमान सरकार ने किसानों की कठियाई के दृश्टिगत सरसौं की खरीद पर विशेश ध्यान दिया और प्रति वर्श सरसों की खरीद में निरन्तर वृद्धि हुई है जिस का उल्लेख मैं निम्न प्रकार से करना चाहूंगा:–

क्र.स.	वर्श	खरीद की मात्र (टनों में)	कीमत (करोड़ में)
1	1991–92	4335	2.82
2	1998–99	2333	2.29
3	2000–01	30443	33.48
4	2001–02	36030	43.24
5	2002–03	75361	97.97

(ड.) खाद्यान्नों का प्रेशण – पिछले कई सालों से राज्य में खाद्यान्नों के भण्डारण की समस्या रही है और राज्य से खाद्यान्यों का पर्याप्य मात्रा में प्रेशण नहीं हो रहा था। पिछले 5 वर्शो में राज्य से औसतन केवल 30 लाख टन प्रति वर्श प्रेशण हुआ था। वर्तमान सरकार ने इस ओर विशेश ध्यान दिया और पिछले केवल 6 मास की अल्प अवधि में अर्थात अप्रैल से सितम्बर, 2002 में 41 लाख टन खाद्यान्नों का प्रेशण किया गया जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

(च) बासमती धान के बिचाई क्षेत्र में वृद्धि – वर्श 1997–98 में बासमती धान की बिजाई क्षेत्र 38 प्रतिशत था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस ओर विशेश ध्यान दिया गया और बासमती धान का बिजाई क्षेत्र इस वर्श 38 प्रतिशत से बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है। इसमें पूना बासमती और

शरबती किस्म के धान के क्षेत्र में वृद्धि उल्लेखनीय है जो कि किसानों को बाजार में अच्छे दाम दिला रही है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस पैडी की खरीद के मामले में सरकार ने पूरी तरह से सतर्कता बरती है। किसी भी मण्डी से सरकार के नोटिस में कोई शिकायत नहीं आई कि जहां सरकारी खरीद में कोई बेकायदगी की गई हो बल्कि सरकार की तत्परता का परिणाम यह निकला कि सरकार ने जो खरीद मूल्य निर्धारित किया था उससे 40 रूपये अधिक में व्यापारियों ने धान खरीदी है और दूसरी वैरायटीज पिछले साल के मुकाबले ज्यादा महंगी बिकी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि किसान का एक–एक दाना हरियाणा सरकार ने खरीदा है। हर रोज दिन में दो दफा बोली मण्डियों में लगी है और पानी तथा लाईट का सरकार की तरफ से समुचित प्रबन्ध किया गया। सिक्योरिटी नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल जी स्वयं छः मण्डियों में गये थे और इन्होंने वहां पर शामियाने लगाये, पानी का छिड़काव करवाया तथा कुर्सियों भी लगवाई लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। पूछा गया कि क्या कारण है कि एक भी आदमी नहीं आया जिस दुकान के आगे इनका शामियाना लगा था वह बेचारा इनकी पार्टी का ही था उसके कहा चौ. साहब साच्ची पूछो तो पिछले 50 वर्शो में ऐसी खरीद नहीं हुई जैसी अबकी दफा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः चौ. भजन लाल जी, प्लीज आप बैंठे आपको क्वैश्चन पूछने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्षः चेयर की अनुमति के बगैर डॉक्टर साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। डॉक्टर साहब स्लीज आप बैठें। आपकी पार्टी को इस कालिंग अटैंशन मोशन पर चार क्वैश्चन पूछने का अवसर दिया जायेगा। डॉक्टर साहब, वह कल हो जाएगा अब आप बैठें। (विघ्न एवं भाोर) कादयान साहब, सदन के नेता खड़े हुए हैं इस तरह से खड़े नहीं होते हैं इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, शायद सम्मानित सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे रिप्लाई के बाद यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से ये बोल सकेंगे। मैं जो बात कर रहा हूं कृपया वह सुनिये। अगर कोई अनर्गल बात लगे तो खड़े होकर ये उसको बता सकते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत देंगे तो बाद में इनको अपनी बात कहने अवसर मिलेगा। मेरे कहने का भाव यह है कि हमने बहुत अच्छे ढंग से खरीद की है। फिर भी अगर कहीं पर कोई शिकायत रही है तो बताइये। सात तारीख को भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का ब्यान था कि अब की बार पैडी की खरीद में बहुत बेकायदगियां हुई हैं, किसान बर्बाद हो गया है। मैंने उस वक्त एक ब्यान देकर सदन में

विपक्ष के नेता को कहा कि आप तारीख तय कर दीजिए हम सदन का इजलास बुलवा लेंगे। हुड्डा साहब आपने ब्यान दिया था कि हाउस कब बुलाएंगे, आपने यह ब्यान दिया था या नहीं दिया था (विघ्न) मैं आप से पूछ रहा हूं। हमने उस वक्त आपकी बात मान कर यह कह दिया था कि आप तारीख बता दीजिए और आपने कहा था कि कि मुख्य मंत्री जो तारीख तय करेंगे वे कर लें। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया और सात तारीख को अधिवेशन की मांग करने वाले विपक्ष के नेता ने 16 तारीख को अखबार में फिर ब्यान दे दिया है पैडी तो सब खरीदी गई है अब इस अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। (विघ्न) हुड्डा साहब, आपका ब्यान अखबार में छपा।

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी आप बैठिए। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) आपको बोलने की इजाजत नहीं दी हैं, इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात, हर बात की कोई सीमा होती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको काबू में रखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा कि जब भी में आए कोई भी खड़ा हो जाए, क्या यह कोई बात है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग किसी भी मामले पर सीरियस नहीं है। जैसे अभी चौ. सम्पत सिंह जी ने बताया कि इनका एक भी क्वैश्चन नहीं आया है। जब कभी ये नो कान्फिडैंस मोशन लाते हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान के दुख दर्द की बात तो वोट बटोरने के लिए करते हैं लेकिन इन लोगों को उनकी पीड़ा का कोई अहसास नहीं है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तो कभी खेत में गया ही नहीं इसको खेत का कुछ पता ही नहीं। यह जब मण्डियों में जाते हैं तो शामियाने लगवाते हैं, कुर्सियों लगवाते हैं और पानी छिड़कवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग आधी मण्डियों में गया हूं, मेरे वजीर सारी मण्डियों में गए हैं, हमारी पार्टी के सारे विधायक गए हैं, हम लोग ढेरी पर ही गए हैं जहां पर पंखे चलते हैं वहीं पर ही हम ढेरी पर खड़े होकर लोगों से पूछते हैं कि उनकी दिक्कत और कठिनाई क्या है। अब भजन लाल जी की बात तो समझ में आ सकती है यह तो इनको बरगलाने का काम करते हैं इनको तो चिन्ता है ही नहीं। इन्होंने तो 15 तारीख को दशहरे वाले दिन हरिद्वार में जाकर कोठी का उद्घाटन किया है। ये तो सन्यास लेने जा रहे हैं इनका जिक्र कहां है। भजन लाल जी, दशहरे के दिन आपने हरिद्वार में अपनी कोठी का उद्घाटन किया कि नहीं किया।

(विघ्न) मैं तो बता रहा हूं आप बता दीजिए कि किया कि नहीं किया (विघ्न)। जो आदमी हरिद्वार जाएगा साफ जाहिर है कि वह सन्यास लेगा। आप तो राजनीति से ऊब तो राजनीति से ऊब गए हैं और इनका कहीं अवसर आना नहीं है। (विघ्न) दूसरे के झगड़े के बीच में आप क्यों आ रहे हैं। जो बात कही है उसको मान लेना चाहिए। हमारी एक सोच है और हम डैमोक्रेटिक सैट अप में यकीन रखते हैं। मैंने खुलकर एक बात सदन में कही थी और सदन से बाहर भी कही है आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप हैल्दी क्रिटिसिज्म करें हम उसका पूरा जवाब देंगे। आप कोई रचनात्मक सुझाव दें हम उन पर अमल करेंगे सदन का बहुमूल्य समय बिना वजह खराब करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले बात को समझ लिया करें सारी कार्यवाही के लिए रूल्ज रैगुलेशन्ज भी बने हुए हैं। आपके बहकावे में चौ. बंसी लाल जी भी लॉ ग्रेजुऐट होते हुए आ गए हैं इनको भी सुप्रीमकोर्ट के फैसले का कोई ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज भी कोई यह नहीं कह सकता है कि हमने खरीद में बेकायदगी की है। इनकी सरकार के वक्त में कांग्रेस की जब सरकार थी और भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे पैडी की खरीद 3 प्रतिशत होती थी बल्कि तीन परसैंट से भी कम 2.1 प्रतिशत ही होती थी जब चौ. बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तक 7 प्रतिशत और हमारी सरकार में 85 प्रतिशत पैडी की खरीद हुई हे। (इस समय मेजें थपथपाई गई) हमने किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया है। चो वह गेहूं की खरीद रही है, चाहे वह पैडी की खरीद रही है। हमने

गोदामों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की है और तो और हमने किसानों की गीला अनाज भी खरीदा है और हमें खुशी इस बात की है कि 68 लाख मीट्रिक टन भीगी हुई गेहूं खरीदी थी और उसमें से 58 लख मीट्रिक टन अब तक रीलिज हो चुकी है। हमने किसानों का नुक्सान नहीं होने दिया है। आपको इस बात से सन्तुश्ट होना चाहिए कि हमने स्वयं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करके किसानों को 20 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भाव फालतू दिलवाए है। उत्तर प्रदेश की सकार ने भी अब तक कुछ नहीं दिया है। (विघ्न) आपको ज्ञान ही नहीं है। हम तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमने एक तारीख से ज्यों ही खरीद शुरू की उसके साथ–साथ ही किसानों को 20 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया है। (विघ्न) इन्द्रजीत सिंह जी आप एक सैकिन्ड रूकें। आप फिर गल्तफहमी के शिकार हो जाएंगे। भजन लाल जी ने जो ब्यान दिया है वह तो नासमझी में दिया है कि पंजाब की सरकार 30 रूपये दे रही है। इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकार बनने से पहले लोगों में यह कहा था कि ऐ किसानों पर्ची सम्भाल कर रखना जब हमारी सरकार आएगी तो 30 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देंगे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी तो उस मीटिंग में कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि 30 रूपये पिछले साल आपने घोशित किए थे वे देओ। विरोधी पक्ष वालों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया और तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 रूपनये इस

सीजन में देंगे, 10 रूपये गेहूं के सीजन में देंगे और 10 रूपये पैडी की सीजन में देंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि यह भी उन्होंने कहा है अभी तक दिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम 20 रूपये साथ के साथ देते जा रहे हैं। हमारी खरीद में किसी प्रकार की बेकायदगी नहीं है इसलिए मैंने सदन में लिखित जवाव पढ़ने की बजाए जो प्रत्यक्ष रूप में सही आंकडे हैं। वही प्रस्तुत किए हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं इस सदन में कहता हूं कि आप मुझे किसी एक भी किसान की शिकायत दे दें कि किसी किसान ने कहा हो कि उसकी निर्धारित मूल्यों से कम दाम में पैडी बिकी है। हम उसके घाटे को पूरा करने के पक्षध्ज्ञर हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें। फर्स्ट प्रश्न पूछें। (विघ्न) चौ. भजन लाल जी आप बैठिए। आप तीसरे नम्बर पर हैं। कर्ण सिंह जी, आप अपना सवाल पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार मुझे दो प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्या आप मुझे दो प्रश्न पूछने का मौका देंगे या एक में ही काम चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न एक बार में ही पूछ लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में जवाब दिया है और जो लिखित ब्यौरा सदन के पटल पर रखा है दोनों में अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव के तहत कहा हैं कि जो सरकारी एजैन्सियां हैं वह धान की, पैडी की समस्त हरियाणा में खरीदारी नहीं कर रही है और विशेशकर हमारे फरीदाबाद में नहीं कर रही हैं। अगर आपकी सरकारी एजैन्सियौं किसानों का धान नहीं खरीदती हैं तो स्पीकर सर, किसान को मजबूर होकर अपनी पैडी व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब व्यापारी यह देख लेता है कि सरकार एजैन्सियां नहीं खरीद रही हैं तो वह मन माने दाम पर किसान की फसल की लागत लगाता है। स्पीकर सर, आज ऐसे हालात सारे हरियाणा में हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई साबित कर दे कि सरकार द्वारा किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है तो मैं वही साबित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, सरकार जो वैरायटी खरीदती है, वही वैरायटी ही खरीद सकती है और उस वैरायटी का मूल्य तय है। जैसे बासमती है और मुच्छल है ये वैरायटीज सरकार नहीं खरीदती है। आपके एरिया में हो सकता है यही वैरायटी ज्यादा पैदा होती हो परमल न होती हो। जिसकी वजह से आपको यह लता हो कि सरकार खरीद नहीं रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, परमला वैरायटी ही हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। मैंने सारे हरियाणा की बात

कही है। स्पीकर सर, इन्होंने अपने जवाब में माना है कि 2002–03 में 25199 मीट्रिक टन पैडी का अराईवल हुआ है और जो सरकारी एजैंसीज ने परचेज की हैवह मात्र 4663 मीट्रिक टन की है। यह जो बाकी मण्डियों में किसानों का काफी मीट्रिक टन माल आया हुआ है वह तमाम का तमाम माल व्यापारियों ने औने पौने दामों पर खरीदा है। उन्होंने किसानों का शोशण किया है। स्पीकर सर, इसी तरीके से पूरे हरियाणा में सरकारी एजैन्सियां किसानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर रही हैं। सिरसा जिले के अन्दर सरकारी एजैन्सियों की खरीद सबसे ज्यादा है। सिरसा जिले के किसानों की पैडी सरकारी एजैंसियों खरीदती हैं इसलिए वहां के किसानों को अपन फसल व्यापारियों को सस्ते दामों पर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि दूसरे जिलों में खास करके हमारे फरीदाबाद जिले में ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप प्रश्न पूछें। यह तो खुशी की बात है कि जहां धान खरीदने के काबिल है वहां खरीदी जाएगी। यह तो अच्छी बात है। आपकी बात पूरी हो गयी है इसलिए अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने इसका ब्यौरा दिया है अगर इसमें कोई सच्चाई है। तो हमें ये यह ब्यौरा भी दे दें कि सरकारी एजैंसीज ने सिरसा जिले में कितनी पैडी खरीदी? स्पीकर साहब, वहां पर पंजाब तक के किसानों का धान सरकारी एजैंसीज ने खरीदा है जबकि दूसरे जिलों में

सरकारी एजैंसीज द्वारा ऐसा न करने की वजह से प्राईवेट ट्रैडर्ज मनमाने दामों पर धान की खरीद कर रहे हैं। मैंने खुद भी मण्डियों को दौरा किया है। मैंने वहां पर अखबार वालों को भी बुलवाया था। मैंने पलवल की मण्डियों का दौरा किया है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप किसी किसान का नाम तो बताएं किसकी अंडरवेट पैडी गयी है। (शोर एवं व्यवधान) अब आप बैठिएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, बैठिएगा का क्या मतलब, मैं सप्लीमैंट्री पूछ रहा हूं लेकिन ये लोग बीच में ही खड़ी हो जाते हैं। आप अपने इनको समझाईये।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, वे कृशि मंत्री हैं और इनकी ही इस बारे में सारी जिम्मेदारी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं भी भूतवूर्प कृशि मंत्री हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कृशि मंत्री भगवान होता है। वह भगवान नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, भूत तो भूत ही होता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक तो यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने जिले में सरकारी एजैंसीज के द्वारा तमाम धान की खरीद करवाने का आदेश दे रखा है क्या उसी तर्ज पर

पलवल, होडल और बल्लभगढ़ की मंडियों में भी सरकारी एजैंसीज द्वारा धान खरीदने का आदेश उन्होंने दे रखा है? इनको वहां पर भी ऐसा ही प्रबन्ध करना चाहिए। ****

श्री अध्यक्ष: इनकी यह बात रिकार्ड न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अन पार्लियामैंट्री बात नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत हो तो आप सदन की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा लें। अगर मेरी बात साबित नहीं होगी तो मैं आपने पद से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो ये ऐसा करें। सर, इस तरह से नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी,त्र आप अलग अलग जवाब देंगे या इक्ट्ठा ही देंगे।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी भी सप्लीमैंट्री है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आपका तो तीसरा नम्बर है। आपके लीडर तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हैं। आप तो उनके बाद ही हैं और आपके बाद जितेन्द्र सिंह मलिक का नम्बर है। मैं तो सिक्वैन्स से ही नाम लूंगा। अगर हुड्डा साहब चाहें तो मुझे बात दें मैं आपको बोलने के लिए पहले समय दे दूंगा। मैं आर्डर ऑफ प्रिफरैन्स से नाम बोलने के लिए देना चाहता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी सप्लीमैंट्री तो पूरी हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात हो रही है। आप भाशण न दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, आप मुझे सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत दें। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि इन्होंने अपने जबाव में जो कहा है कि किसानों की पैडी और गेहूं की खरीद के बाद उसके रख–रखाव और स्टोरेज का बहुत बढ़िया इन्तजाम किया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हरियाणा की तमाम मंडियों में गेहूं लदा रहा है और धान को डालने की कोई जगह ही नहीं है। किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। गेहूं का उठान ही नहीं हो रहा है। यह इन्होंने अने जवाब में कहा है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरा इनसे सवाल यह है कि जो 560 रूपये की कीमत एम.एस.पी. तय हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी आश्वासन देंगे कि तमाम हरियाणा का और खासकर हमारे फरीदाबाद जिले के किसान का धान 560 रूपये प्लस बीस रूपये बोनस देकर खरीदेंगे? क्या यह इतना रेट किसानों को दिलवाएंगे? इसके अलावा इनसे मेरा सवाल यह है कि जो पिछले साल के गेहूं का उठाव नहीं हो रहा है क्या ये उसको भी उठाने का इंतजाम करवाएंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने आज जो धन के बारे में चर्चा की तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दो तीन किस्म की बाते हैं। एक तो प्रोक्योरमैंट प्राइस की बात है। दूसरे किसान को लागत के हिसाब से उचित दाम मिला है या नहीं यह देखने वाली बात है। पूरे प्रदेश में किसान को लागत के हिबाब से उचित दाम नहीं मिला है। किसान की लातग दो हजार रूपये से लेकर पांच हजार रूपये से भी ज्यादा आयी है। दिन रात मेहनत करने वह अपनी फसल पैदा करता है। इसके अलावा किसानों ने अपना टयूबवैल भी लगाया और बिजली भी उपलब्ध नहीं थी इस तरह से उसकी यील्ड घटी है। डीजल के रेट कितने बार बढ़े हैं। केवल 20 रूपये जो बोनस दिया है वह उचित है या अनुचित है यह अलग बात है। हमारी जो मांग है वह पैडी का रेट 700 रूपये प्रति क्विंटल करने की है। दूसरी चर्चा खरीद की है। (विघ्न) पैडी का 560 रूपये प्रति क्विंटल का रेट केन्द्र सरकार ने अनाउंस किया है। मंडियों में खरीद कब से शुरू हुई एक अक्तूबर से शुरू हुई और किसानों द्वारा मंडियों में धान कब से ले जाना शुरू हुआ वह 15 सितम्बर से शुरू हुआ। 15 सितम्बर से किसाना मंडियों में धान लेकर आया उस टाईम किसान की क्या स्थिति थी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर ये बात करें तो यह वाकई एप्रीसिएबल होगा और हम इनके बहुत धन्यवादी होंगें। अगर आप कहें तो मैं नाम भी बता देता हूं कि किस किसान का क्या है? आप उन किसानों के नाम नोट भी कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। 21 तारीख को फतेहाबाद

मंडी में ढाणी ईश्वर सिंह के गांव के श्री हरि सिंह, गुरूमीत सिंह तथा शेखुपुरा के लखविन्द्र सिंह व बलकार सिंह धान बेचने गये तो उनको उनकी धान का भाव 50 से 100 रूपये कम मिला, 560, 530 भी नहीं मिला। अगर आप उनको मिनियन स्पोर्ट प्राइम देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इसी प्रकार से रतिया अनाज मंडी का पता कर लें। रतिया मंडी में किसानों को जो दिक्कत आई है वह भी आप पता कर सकते हैं वहां 21 तारीख को 2.30 बजे धान की बोली शुरू हुई और 5 बजे खत्म हुई इसका मतलब यह है कि बेचने वाले बहुत थे और बोली वाला एक रह गया। प्राइवेट आढ़ती जो थे उन्होंने आपस में मिलकर किसानों को दाम कम दिया क्योंकि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तारीख से पहले जिस गरीब किसान ने दिन रात मेहनत की और किसान तो डिस्ट्रैस सेल काफी हद तक कर चुका था उसका क्या कसूर था। इसी प्रकार से जुंडला अनाज मंडी में देवेन्द्र नाम किसान और दूसरे किसानों ने सरकारी ऐजैसिंयों द्वारा पैडी की खरीद में धांधली का आरोप लगाया। 6 अक्तूबर को धान उत्पादन किसानों ने धांधली के आरोप में असंध में 5 घंटे रोड पर जाम लगाया जिसके रिजल्ट में उनका एक ऐग्रीमैंट हुआ इसमें एक तो ऐग्रो इंडस्ट्रीज का और दूसरा मार्किटिंग बोर्ड का चेयरमैन था उनके बीच में और किसानों के बीच में ऐग्रीमैंट हुआ कि इस प्रकार की लूअ और धांधली बंद की जाए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र मंडी में पी.आर. 13 की खरीद नहीं हुई। यह मैं एक तारीख से पहले की बात बता रहा हूं

ओर उसकी भरपाई की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है इसलिए बता रहा हूं। किसान जिनी पैडी की डिस्ट्रैस सैल कर गया, सरकार उसकी भरपाई करेगी या नहीं करेगी, सवाल इस बात का है। मैं स्वयं मंडियों में गया था। खारवान गया, छछरौली, मुस्तफाबाद, जगाधरी, बिलासपुर और लाडवा इन मंडियों में मैं खुद गया था। वहां क्या तरीका था यह बताना चाहता हूं। (विघ्न) एक तरफ तो यह कहते हैं कि विपक्ष के लोग कहेंगे तो हम मदद करेंगे, आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हैं। बोली पर किसान अपनी धान ले गया। वहां बोली लगी और दाम लग गया। बाद में कह दिया कि आपकी धान में मॉइश्चर है इसको आप दो दिन सुखा लें और दो दिन सुखाने के बाद तोल हुई दो दिन के बाद वजन कितना घटा है इस बारे में आप किसान से पता कर सकते हैं। उसकी भरपाई कौन करेगा इसके अलावा जो किसान को तकलीफ हुई है वह छलनी की हुई है। पहले आम तौर पर परम्परा थी कि मजदूर एक बार छलनी से छान देते थे और उसकी जो लागत थी किसान को देनी पड़ती थी अब आपने कह दिया कि पंखा भी लगाओ अब किसान को दो चीजों की लागत देनी पड़ती है। एक तो मजदूर की छलनी की और दूसरे पंखे की। जबकि होता सिर्फ पंखे से है।

ग्राम एवम् नगर आयोजन मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): धान कभी छलनी से नहीं निकलता है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अरोड़ा साहब, ऐसा है मैं खुद धान पैदा करता हूं उसको हल्का उड़ाया जाता है पहले उसको

मजदूर काटते थे और हाथ के पंखे से उड़ाते थे। पैर से भी चलते थे।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठें। आप क्या कह रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंखे की बात कर रहा हूं। सफाई की बात कर रहा हूं। (विघ्न) अब दो–दो बार सफाई की लागत किसानों से कटती है। ढेर की सफाई तो शाम को हुई और उसकी बोली लगी दो दिन बाद।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप चेयर को एड्रैस करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तथ्य कई मंडियों में देखने को मिले। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस बात की छानबीन कराये और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे जो किसानों को घाटा हुआ है। उसकी भरपाई करेगे। सरकार इस कार्य को करे तो वाकई में यह अच्छा कार्य होगा और इस बात के लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। सरकार यह कार्य करके दिखाये। लेकिन ऐसा कहना कि इस बार किसानों का सब कुछ प्रोक्योर कर लिया। अब की बार वैसे ही यील्ड कम हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, वाईड अप करें। क्या आप क्वैश्चन पूछ रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, इस साल वैसे भी यील्ड बहुत कम हुई है क्योंकि जो किसान पहले दस एकड़ धान बोता था उसने इस साल पांच एकड़ में ही धान की बिजाई की है। यील्ड कम हुई है और प्रति एकड़ एवरेज भी कम आई है। (विघ्न) हम मुख्यमंत्री जी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वे एक प्रोग्रमा बनायें और जो किसानों को सही भावन नहीं मिला उसके लिए वे संघर्श करें। सरकार ने जो 20 रूपये बोनस दिया है वह बहुत कम है। कम से कम 100 रूपये प्रति एकड़ होना चाहिये। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 30 रूपये प्रति क्विंटल इंस्टालमैंअ में देने की बात कही है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी 20 या 30 रूपये प्रति क्विंटल जरूर किसानों को देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री भी पूछूंगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है उसका जवाब भी दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर है। जवाब तो सरकार देगी आप अपना प्रश्न पूछें।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुये दो तीन बातें कहीं हैं जो वाजिब नहीं है वे कहना नही चाहते थे लेकिन उन्होंने कह दिया कि भजन लाल 6 मण्डियों में गया वहां शामियाने लगे हुये थे और पानी का

छिड़काव हो रहा था। सरकार को आपकी है शामियाने और छिड़काव तो आपके लिए होना चाहिये हमारे लिये कौन करेंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौ. भजन लाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री भी पूछूंगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है उसका जवाब भी दूंगा।

श्री उपाध्यक्षः चौ. भजन लाल जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। जवाब तो सरकार देगी आप अपना प्रश्न पूछें।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुये दो तीन बातें कहीं हैं जो वाजिब नहीं हैं वे कहना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने कह दिया कि भजन लाल 6 मण्डियों में गया वहां शामियाने लगे हुये थे और पानी का छिड़काव हो रहा था। सरकार तो आपकी है शामियाने और छिड़काव तो आपके लिए होना चाहिये हमारे लिये कौन करेंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौ. भजन लाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है आप निकलवाकर देख लें। इन्होंने छिड़काव की बात कही है।

व्यापारी तो बेचारा सरकार से इतना डरता है और कुछ नहीं, तो सरकार उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बना देती है।

श्री उपाध्यक्षः भजनलाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मैंने लोगों से पूछा। ये कहते हैं एक एक जगह एक आदमी भी नहीं था जबकि मैं कहता हूं कि एक एक हजार आदमी हर मंडी में थे। परसों श्रीमान जी रोहतक में थे, 4 अलग–2 मीटिग्ज कर रखी थी, इनकी मीटिंग में 400–400 आदमी होते हैं और भजन लाल की एक मीटिंग में 70–80 हजार आदमी होते हैं, यह रिकार्ड की बात है। (शोर एवं व्यवधान) यह सही बात है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, आप पैडी पर बोलें।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने बताया है कि धान का 560 रूपये का भाव है। पहली बात तो मैं इनकी कमजोरी कहूं और कुछ कहूंगा तो फिर कहेंगे ऐसी बात यहां मत कहो। किसान की मांग थी कि कम से कम 100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भाव बढ़ना चाहिए था। ये किसान को 20 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देकर वाह वाही ले रहे हैं। (विघ्न) कहते है कि बड़ा भारी काम हमने कर दिया कि 20 रूपये किसान को फालतू दे दिए। (विघ्न) एक रूपया तो चौ. देवीलाल और चौ. चरण सिंह के समय में दिया गया था, हमने तो 50

रूपये क्विंटल दिया था। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि ये मंडी में 30 से 35 प्रतिशत धान लेते हैं और 65 से 70 प्रतिशत जो धान किसान को मजबूरी में 520, 530 रूपये क्विंटल बेचना पड़ता है, उस पर ये 20 रूपये क्विंटल मुआवजा नहीं देते हैं जबकि इनको 20 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। 560 रूपये से कम जो धान प्राइवेट बिकती है उस पर मुआवजा या बोनस किसान को नहीं मिलता है। आम किसान की यह शिकायत थी इसलिए मैं यह कह रहा हूं। पैडी 15 तारीख से आनी शुरू हो गई और इन्होंने अगले महीने की एक तारीख से खरीदना शुरू किया। 15 दिन बीच के यानि 15 सितम्बर से लेकर 30 दिसम्बर तक जो पैडी बिकी उसका 20 रूपये मुआवजा या बोनस कौन देगा। किसान का क्या बनेगा, सरकार उसका जवाब दे। जो 15 सितम्बर से पहले पैडी बिकी है उस पर भी 20 रूपये क्विंटल बोनस सरकार को जरूर देना चाहिए। एक बात और इन्होंने कह दी कि 15 तारीख को भजनलाल हरिद्वार में था तो मैं आस्तिक आदमी हूं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूं, मैंने वहां स्नान भी किया और कुटिया का उद्घाटनर भी किया, आपको उस कुटिया में ठहरना हो तो ठहरा देंगे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह काम आस्तिक आदमी का है।

श्री उपाध्यक्ष: इसका मतलब आप सन्यास लेकर जा रहे हैं। आप प्रोक्योरमैंट पर बोलें।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें यह मुझे बीच में टोके न। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 तारीख को आपके शहर में गया, आपके गांव में गया और आपके इलाके में गया, ये 10 दिन तक भी नहीं गए।

श्री उपाध्यक्ष: वहां बहुत लोग आए हैं और कई बार गए हैं। भजन लाल जी, आप धान पर बोलें।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, किसान की बहुत बुरी हालत है, सूखा पड़ गया, पानी पूरानहीं मिला, बिजली नहीं मिली, भाव ठीक नहीं मिला, झाड़ कम है। डीजल का रेट रोज बढ़ जाता है, ये डीजल के बारे में एक मिनट भी नहीं बोलते, किसान को डीजल कितना मंहगा लेना पड़ता है, किसान का कितना खर्चा बढ़ जाता है, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी इन सारी बातों को देखते हुए किसान को कम से कम जीरी का भाव 650 रूपये मिलना चाहिए। लेकिन जो जीरी कम रेट में बिकी उसका किसान को बोनस मिलना चाहिए।

17.00 बजे

कैप्टल अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने अपने रूरल डिवैल्पमैंट फंड में से 30 रूपये किसानों को बोनस देने की बात की है, उन्होंने पिछली सरकार के समय का भी 10 रूपये पर ईयर के हिसाब से बोनस अनाउंस किया है।

क्या उसी तरह हरियाणा सरकार भी अपने यहां किसानों को अपने रूरल डिवैल्पमैंट फंट में से राहत देने का काम करेगी क्योंकि किसानों को जो 20 रूपये बोनस दिया गया है यह बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि 560 रूपये क्विंटल के रेट से कम पर जिन किसानों की धान बिक गई उस पर बोनस नहीं दिया गया, उन्हें भी बोनस दिया जाना चाहिए। 15 सितम्बर से 1 अक्तूबर के बीच में जो धान मंडी में आई है उसका भी किसानों को बोनस मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में दे रखा है कि टोटल 25199 मिट्रिम टन पैडी 28.10.2002 तक मण्डियों में आई और केवल 4663 मीट्रिक टन पैडी सरकार ने खरीदी तथा बाकी की पैडी व्यापारियों ने खरीदी। उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों ने मिनिमम रेट 560 रूपये से कम में जिन किसानों की धान खरीदी क्या उन किसानों को मुख्यमंत्री महोदय मिनिमम रेट 560 रूपये प्रति क्विंटल देने का आश्वासन on the floor of the House देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी साईन कर रखें हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, मेरे पास जिस सीनियरटी से नाम आये हैं, मैं उसी हिसाब से सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहा हूं, जब आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को गन्नौर मण्डी में किसानों की फसल की खरीद पूरे दिन रूकी रही और 1500 मीट्रिक टन धान मण्डी में बगैर बोली के पड़ी रही। वहां पर नरेला और सोनीपत के खरीद माफिया जबरदस्ती करते हैं। उन्होंने गन्नौर मण्डी के मार्केटिंग अधिकारी श्री दौलाराम बिश्नोई को धमकाकर मण्डी से बाहर निकाल दिया और किसानों की धान बिना बोली के सस्ते रेट पर खरीदने की कोशिश की गई। इस कारण वहां के किसानों और व्यापारियों में तनाव बना और किसानों ने यह धमकी दी कि वे मण्डी में ताला लगा देंगे उसके बाद प्रशासन थोड़ा बहुत हरकत में आया तब जाकर 26 तारीख को खरीद हो पाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय 25 तारीख को जो कुछ हुआ उसके लिए स्वयं इन्क्वायरी करवायें कि वे कौन–कौन हैं जो किसानों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार अपने लैवल पर उन लोगों की पहचान करती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम भी बताने को तैयार हैं कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही किसान को धान की फसल से अधिक मुनाफा नहीं हो रहा और उसके बावजूद किसानों पर दबाव डाला जाये या उन्हें तंग किया जाये यह अच्छी बात नहीं है।

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी प्रश्न पूछनें का समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आपकी पार्टी के पांच सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना था और जिन सदस्यों का नाम दिया गया था उनमें से मैंने पहले पांच सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया है।

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साईन किए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठें। साईन करने वाले सभी सदस्यों को बोलने का अवसर थोड़े ही मिलेगा। पांच सदस्यों को अवसर दिया जाना था और आपकी पार्टी के पांच सदस्य बोल चुके हैं। अब प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आपके पांच स्पीकर्ज को बोलने का अधिकार दिया गया था। एक ईशू पर कॉलिंग अटैंशन मोशन पर जितने क्वैश्चन पूछे जा सकते हैं, वह अलॉऊ किये हैं। कम से कम जब आप खड़े हैं तो आपकी पार्टी के दूसरे मैम्बर्ज को तो बैठना चाहिए। अब आप बताइये। (विघ्न) मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं, आप अपनी सीट पर बैठें।

वाक आउट

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं ऐज ऐ प्रोटेस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य चौ. जय प्रकाश बरवाला हाउस से वाक आउट कर गए)

वक्तव्य –

उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वरा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष: आप वाक आउट कर जाएं पांच आदमियों को बोलने के लिए अलाऊ किया है सब को मौका दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, कॉलिग अटैंशन मोशन के हिसाब से इन लोगों की तरफ से डिमांड होती है। इन्होंने खुल कर प्रश्न पूछे हैं, मैं खुल कर जवाब दूंगा और इनकी पूरी तसल्ली करवाऊंगा। पांच से ज्यादा मैम्बर्ज नहीं बोल सकते हैं। चौ. साहब, इनको तो कोई ज्ञान नहीं है लेकिन आप तो लॉ ग्रेजुऐट हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, ये फिर वही बात करते हैं अब फिर रूल की बात आ गई। ये लोग पढ़ कर तो आते नहीं Rule 73 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, is regarding the Calling Attention on Matters of Urgent Public Importance. In this Rule, it is mentioned –

"73(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question.

Provided that names of not more than five members shall be combined or bracketed."

पांच से फालतू मैम्बर्ज उस पर नहीं बोल सकते हैं चाहे 20 मैम्बर्ज ने साईन किए हुए हों पांच को ब्रैकेटिड करेंगे और वहीं पांच मैम्बर्ज बोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब लीडर आफ दि अपोजीशन कह रहे हैं कि ज्यादा मैम्बर्ज बोलेंगे। (विघ्न) अण्डर डिफरैंट सैक्शन्ज नोटिसिज होते हैं और उसके बाद चेयर की अपनी रूलिंग आती है कि वह कॉलिंग अटैंशन मोशन बनता है या ऐडजर्नमैंट मोशन बनता है या हाफ एन आवर डिस्कशन बनती है। यह क्या बनता है इस पर चेयर की रूलिंग आ गई कि यह कालिंग अटैंशन मोशन बनता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने इसको कॉलिंग अटैंशन मोशन मान लिया और एडमिट कर लिया। जब कालिंग अटैंशन मोशन ऐडमिट कर लिया है और कालिंग अटैंशन मोशन पर ही डिस्कशन चल रही है तो इस पर कालिंग अटैंशन मोशन का रूल ही लागू होगा, न कि एडजर्नमैंट मोशन

की बात आएगी। यह चीज इसमें ऑलरैडी मैंशन्ड है। इसमें साफ लिखा है यह रूल्ज ऑफ प्रोसिजर एंड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस इन हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली है जिससे इस हाउस को गवर्न किया जाता है इसके अगेन्स्ट हम नहीं चल सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने बहुत फ्राखदिली दिखाई है। आपने इस मुद्दे पर सवाल की बजाए पूरी डिबेट करवा दी जब कि डिबेट नहीं हो सकती है केवल सवाल ही पूछ सकते हैं। इस पर डिबेट हो गई क्योंकि इशू इम्पोटैन्ट था। पांच लोगों ने इस पर अच्छी तरह से बोल भी लिया और अपनी बात कह ली। मुख्यमंत्री जी अब उन बातों का रिप्लाई दे रहे हैं। तो उनका रिप्लाई सुन लें बजाए इसके कि छठा, सातवां आठवां मैम्बर इस पर बोले। इनके सारे के सारे सीनियर मैम्बर्ज बोल चुके हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, लकीर के फकीर हो कर चलें तो यह ठीक नहीं होगा। मंत्री महोदय ने बिल्कुल दुरूसत बात कही है लेकिन पिछले सैशन का रिकार्ड उठा कर देख लीजिए पांच की बजाए 7,8 और 10 व्यक्ति भी बोले हैं। अब इसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि इसमें पांच की पाबन्दी लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष: इन्द्रजीत सिंह जी, हाउस रूल्ज के अनुसार चलता है फिर आप इसको कन्वैंशन बना लेंगे। अब आप अपनी सीट पर बैठें। भूपेन्द्र सिंह जी, आपके जो सबसे पहले पांच सिग्नेटरीज हैं हमने वे लिये हैं और उनको बोलने का पूरा मौका

दिया है। (विघ्न) अगर इनको बुलवाना था तो इनके सिग्नेचर्ज ऊपर करवा लेते। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप बैठें, मैंने नम्बर देखकर ही बोलने को कहा है। (विघ्न) भाई जी, क्या मैं कोई गलत कह रहा हूं। मैंने देख कर ही कहा है। आप रैगुलर चश्मा लगाते हैं मैं तो कभी कभी लगाता हूँ।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: डिप्टी स्पीकर साहब, ****

श्री उपाध्यक्ष: डा. साहब, अब आप बैठिए। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूं कि आप बिना इजाजत के मत बोलें, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश: ****।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात कहना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर अधिवेशन बुलाया गया था उस बारे में सदन में खुले तौर पर चर्चा हुई है और उस पर पूरी बातें कही गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बीच में न बोलें। आप बिना इजाजत लिए मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जय प्रकाश ने जीरी काटी है बेची कोई नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह तेरा मेरा मामला है, इसको हम आपस में निपट लेंगें। बैठ जा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बीच में न बोलें। आप बिना इजाजत लिए मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा है इसलिए मेरा प्वायंट आफ आर्डर है और इन्होंने जो कहा है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात तो आप बोल रहे हैं। आप प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं। लेकिन पहले तो आप बिना इजाजत के खड़े होकर बोलने लग गए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। आप मेरे से पूछे बगैर नहीं बोलें। आप तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आपको मेरी परमिशन नहीं मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान) आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना इजाजत लिए बोलने के लिए खड़े हैं। यहां पर 90 के 90 मैम्बर्ज बराबर हैं और सबको बोलने का बराबर का अधिकार है। आप बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप बिना पूछे ही बोलने के लिए खड़े हो गए। (शोर एवं व्यवधान) आपने किससे पूछा हैं आप तो सीधा ही बोलने के लिए खड़े हो गए। यह तो आप अब बोली रहे हैं कि आप प्वायंट आफर आर्डर पर बोलना

चाहते है। आप जो कुछ भी बिना इजाजत के बोलेंगे तो वह रिकार्ड नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप जो भी बोलना चाहते हैं वह एक मिनट में बोलें।

चौ. जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा कि जय प्रकाश ने जीरी काटी है बेची नहीं है। मैंने तो काट कर भी काम कर लिया है लेकिन ****।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस तरह की बात न करें। इन्होंने जी भी बात कही हैं वह कार्यवाही से निकाल दी जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप इस तरह की बात न करें। मैं आपको वार्निंग देता हूं (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं मुख्यंमत्री जी जवाब देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वासन करना चाहूंगा और यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले हैं जिसके बारे में इनको ज्ञान ही नहीं है या कुछ लोग जानते हुऐ भी उस तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि पैडी को केन्द्र की सरकार खरीदती है। हमारा काम तो केवल किसानों का ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि हमारे यहां पर खरीदी ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि जब कर्ण सिंह दलाल कृशि मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त फरीदाबाद में 0.8 परसैंट जीरी खरीदी गई थी

और अब की बार जीरी प्वायंट 19 परसैंट खरीदी गई है। स्पैसीफिकेशन के हिसाब से खरीद की जाती है। केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ नीतियां तय हैं उसी हिसाब से खरीद की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 17 प्रतिशत या 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी हो तो धान नहीं खरीदी जाती है। हरा धान, कच्चा धान या सुकड़ा धान अगर 3 प्रतिशत होगा तो उसे भी नहीं खरीदेंगे। अगर उसका मिश्रण 10 प्रतिशत होगा तब भी उसे नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कह दिया कि सिरसा में ज्यादा खरीदी गई है। सिरसा में ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा खरीदते हैं, इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूं। जिस एरिया में ज्यादा हुई है, उस एरिया में ज्यादा खरीदी गई है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में कम खरीदी गई हे, कम यील्ड हुई है। अब इनको इस बात का भी ध्यान नहीं है। यह ठीक है कि इस बार बारिश लेट हुई है, लेकिन यील्ड का जहां तक ताल्लुक है हुड्डा साहब, लेट बारिश की वजह से मडियों में फसल लेट आयी है। हुड्डा साहब, आपने जो मंडियों में धान देखा है वह साठी वैरायटी आयी है। इसी के मुताबिक आपने कहा दिया कि इतने क्विंटल धान खरीदा है जो सरकार धान खरीदती है वह समय के मुताबिक ही आयी है। (शोर एवं व्यवधान) उसमें छलनी नहीं लगाते है। यह छलनी तो चावल में लगाते हैं। पैडी में छलनी नहीं लगाते हैं बल्कि इसमें झरने लगते हैं। सरकार ने हर दुकानदार को, हर आढ़त पर काम करने वाले आढ़तियों को यह शर्त लगायी है कि वह झरना लगाकर पंखे से

धान साफ करें। इसके मुताबिक हमारे पास कहीं से कोई शिकायत नहीं आयी है। पता नहीं आप कहां से नाम लिखकर आ जाते हैं। अगर आपसे इस बारे में कोई शिकायत करता थी है तो वह मुर्खों की दुनिया में बसता है। सरकार के पास तो कोई शिकायत नहीं है। सरकार तो शिकायत का इलाज कर सकती है। लेकिन आपकी शिकायत का इलाज भजन लाल जी के पास है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, मैं आपको बताऊं कि कहीं से भी किसान की इस बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है। इस वर्श बारिश लेट हुई है इस वजह से धान लेट आयी है। एक अक्तूबिर से पहले ही धान मंडियों में आया है, आपके पास इस बारे में यह गलत इंफोर्मेशन है। 1 अक्तूबर से लेकर 29 अक्तूबर पिछले वर्श साढ़े बीस लाख टन धान की आवक हुई और अबकी बार इसी दौरान में सवा बीस लाख टन धान आयी है। यानी फालतु आयी है। अगर ये यील्ड की बात करते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्श के मुकाबले में यह इस वर्श ज्यादा है। जब सारा धान आ जाएगा तो हम आंकड़े आपको प्रस्तुत कर देंगे आपको यह पिछले वर्श के मुकाबले में ज्यादा मिलेगी। पता नहीं आप शिकायत की बात कैसे करते हो। हुड्डा साहब, आपकी एक स्टेटमैंट आयी है कि यमुनानगर में और अम्बाला में फल्ड आ गया था। (विघ्न) आपका तो फल्ड का बयान आया है। एक तरफ आप सूखे की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फल्ड की बात कर रहे हैं। आप सारी बात को सोचकर कहा करें क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां की बातें कोट की जाती हैं। सदियों तक यहां

पर एक दूसरे की बात कोट की जाती हैं। आगे कोई इस तरह की बातें कोट करने वाला सदस्य न आ जाएगा इसलिए आप जरा सोचकर बात किया करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बार बार चर्चा की। जब जिस इलाके में फ्लड आया और जहां पानी की दिक्कत थी, वह बात हमने कही। यह बात सबको मालूम है कि शिकायत सरकार को होनी चाहिए क्योंकि काम तो सरकार ही करती हैं और सारी शिकायत दूर करती है लेकिन जब सरकार शिकायत दूर न करें तो लोग हमारे पास आते हैं अगर उस समय लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह बिलसा: उपाध्यक्ष महोदय, भाई दलाल साहब ने जो कालिंग अंटेशन मोशन मूव किया है और जिस पर सदन ने काफी मूल्याकन समय चर्चा पर बिताया है उसके बारे में मैं अवतर कराना चाहूंगा कि कम से कम फरीदाबाद जिले में ऐसा नहीं है। यहां पर आने से पहले हमें पता था कि पैडी से संबंधित प्रश्न या चर्चा सदन में जरूर उठायी जाएगी। सारे जिलों की मंडियों में हम ही नहीं बल्कि दूसरे साथी भी घूमकर आये हैं। मैं भी फरीदाबाद जिले के सबसे ज्यादा धान, गेहूं और गन्ना पैदा करने वाले किसानों में से एक हूं। पहली दफा पैडी के बारे में एक भी किसान से सिंलिग शिकायत भी नहीं आयी है। इसलिए मैं

आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिले में किसान पूर्ण रूपये से संतुश्ट हे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। बिसला जी ने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। आप मुझे बोलने का समय तो दें।

श्री उपाध्यक्ष: अगर इस इशू पर दलाल साहब को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: ****

श्री उपाध्यक्ष: इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, ****

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने किसान के लिए 100 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मांग की थी। आप जो कुछ बोलते हो वह इस कार्यवाही में हाथ के हाथ लिखा जाता है और भजन लाल जी ने 100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मांग की थी।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, आप मान लें इसमें कोई बात नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है। कहते हैं कि बाली से दूसरा कोई लड़ा करता था तो उसका बल आधा रहा जाता था ये आप पर हावी हो गए हैं। आपकी उकड़ सुकड़ जाती है। इसका इलाज करना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हमेशा व्यक्तिगत छींआकशी की बात करते हैं। मेरे बुजुर्ग और समाज के लोग यह कहते हैं कि बिन पूछे किसी को सलाह नहीं देगी चाहिए जो बिना पूछे सलाह देता है वह मूर्ख कहलाता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी ने कहा दिया कि जो बोनस दिया गया वह थोड़ा है हम यह मानकर चलते हैं कि इन परिस्थितियों में 20 रूपये पर क्विंटल के हिसाब से हमारे लिए लाभप्रद है और इससे किसान संतुश्ट है। हमारी जिम्मेदारी केवल एक थी कि किसान का दाना दाना तरीके से खरीदा जाए। जो किसान की पैडी सरकार खरीदती है वह सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य से भी ज्यादा पैसे पर, जब हमने उनकी रखवाली पूरी की तो व्यापारियों ने खरीदी है। यह

तथ्य की बात है आप मंडियों में जाकर पता कर सकते हैं। हमारी सरकार के पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है अगर इसके बाद भी आपके पास किसी किस्म की शिकायत आए तो आप इसको हमारे पास भेजें। आपने कह दिया कि वे लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप तो मुझे बता सकते थे। लेकिन आप तो मुझे और चौ. भजन लाल को जो कुछ बताते हो वह अखबार के माध्यम से बताते हो। आपको केवल अखबार को आधार नहीं मानना चाहिए। (विघ्न)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, हमने गवर्नर साहब को बाकायदा लिखकर भेजा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: यह ठीक है कि आपने लिखकर भेजा है लेकिन कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं है। आपके कोई नाम नहीं बताया आपको तो इस सरकार की दाद देनी चाहिए कि हमने 83 परसैंअ खरीद की है और पूरी तरह से धान खरीदी है। इन्होंने कह दिया कि गोदामों से बाहर धान सड़ रहा है। आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि जहां 68 लाख मीट्रिक टन फसल थी और उसी दौरान में बारिश हो गई थी। बारिश से भीगी हुई फसल हमने अपने ऐफर्टस से 58 लाख मीट्रिक टन, अब से पहली रिलीज करवा दी है। वह रह जाती तो किसानों को बड़ा भारी नुक्सान हो जाता। बाकी भी रिलीज हो जाएगी। हम हर संभव प्रयास करेंगे। (विघ्न) यह यील्ड के हिसाब की बात नहीं है बल्कि हमारे पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई है और पिछले

साल के मुकाबले में 56 प्रतिशत अधिक बिजली दी है और पिछले साल के मुकाबले में पानी भी ज्यादा दिया है जो किसान की पैदावार बढ़ने का मुख्य कारण था। इसलिए मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कहीं कोई बेकादगी नहीं हैं और कहीं किसी के पास कोई शिकायत है तो वह लिखित रूप में भिजवायें उस पर गौर करवायेंगे।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, बोनस के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आपका पर्सनल नहीं है।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि .....

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं मैंने आपको परमिशन नहीं दी है आप बैठ जायें।

कैप्टल अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने बोनस दिया है लेकिन यहां बोनस के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री उपाध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठिये।

चौ. जयप्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप किस इश्यू पर सप्लीमैंट्री पूछना चाहते हो।

चौ. जयप्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो 20 रूपये प्रति क्विंटल पैडी पर बोनस दिया है, इस सरकार ने वह कितने किसानों को दिया है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये, यह सप्लीमैंट्री का टाईम नहीं है। आप बैठ जाइये।

चौ. जयप्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइये।

वाक आऊट

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के जवाब से सन्तुश्ट नहीं हूं इसलिए मैं सदन से वाक आऊट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गये।)

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

The motion was carried.

घोशणाएं

(क) उपाध्यक्ष द्वारा –

(i) चेयरपर्सन के नामों की सूची

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Hon'ble Spaeker nominated the following members to serve on the Panel of Chairpersons:-

1. Sh. Balwant Singh Maina, MLA

2. Sh. Rajinder Singh Bisla, MLA

3. Sh. Ajay Singh, MLA

4. Smt. Sarita Narain

(ii) याचिका समिति

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, under Rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislatie Assembly, the Hon'ble Speaker nominated the following members to serve on the Committee on Petitions:-

1	Sh. Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2	Sh. Lila Krishan	Member
3	Smt. Veena Chhibbar	-do-
4	Sh. Rajinder Singh Bisla	-do-
5	Sh. Zalir Hussain	-do-

(ख) सचिव द्वारा –

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गऐ बिलों संबंधी

Mr. Deputy Speaker: Now, the Secretary will make a announcement.

सचिव: महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2002 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

September Session, 2002.

1. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2002.

2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2002.

3. The Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment, Bill, 2002.

4. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2002.

5. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2002.

6. The Haryana Sh. Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2002.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by teh Business Advisory Committee.

The Commitee meet at 11.00 A.M. on Wednesday, the 30th October, 2002 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Wednesday, the 30th October, 2002 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Thursday, thew 31st October, 2002 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 30th & 31st October, 2002, be transacted by the Sabha as follows :-

Wednesday, The 30th October, 2002 (2.00 P.M.)	1	Obituary Referecnes.
	2	Question Hour.
	3	Motion under Rule-30.
	4	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.

	5	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	6	Presentation of four Premliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
	7	Legislative Business.
Thursday, the 31st October, 2002 (9.30 P.M.)	1	Question Hour.
	2	Papers to be laid, if any,
	3	motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.
	4	Motion under Rule-16 regarding adjournment of Sabha Sine-die.

	5	Legislative Business.
	6	Any other Busuness.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Adisory Committee.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Adisory Committee.

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की रिपोर्ट में 2 दिन का शिडयूल दिया गया है और माननीय पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने मूव भी किया है। चर्चा थी कि सैशन जो बुलाया गया है विपक्ष की मांग पर बुलाया गया है, धान और सूखे पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। आज मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हर माननीय सदस्य को अपने हल्के की समस्याओं के बारे में,

सूखे के बारे में और कानून और व्यवस्था के बारे मे कहने का अधिकार है, इसलिए विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। इम्पलायज जो हरियाणा प्रदेश की रीड़ की हड्डी हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर कोई शंका है तो बोलें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दो दिन का सैशन रखा गया है। लेकिन डिस्कशन के लिए प्वायंटस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सैशन की अवधि बढ़ाई जाए। यह हाउस कांस्टीच्यूशनल मशीनरी है जो दुनिया के अन्दर फेल हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष: लीडर ऑफ अपोजीशन भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में थे। यह कोई नया इश्यू नहीं है, यदि आपने जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में भी हमने यह बात उठाई थी।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब पिछले अधिवेशन के समय जिस वक्त मैं हाउस परीजाइड कर रहा था तब मैंने आपकी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर दिया था। उस समय मैंने आपकी पार्टी के एक–एक माननीय सदस्य से पूछा

था कि यदि कोई और बोलना चाहता हूं मुझे बताये उसे दोबारा टाईम दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ है कि हाउस दो दिन चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग में सदन के नेता ने यह भी कहा था कि यदि काम अधिक होगा और कोई माननीय सदस्य चाहेगा तो हाउस आगे के लिए बढ़ा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैम्बर का मतलब यह नहीं था कि कोई भी मैम्बर। उसका मतलब यह था कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी का मैम्बर (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठ जायें। क्या आप अपने नेता को नेता नहीं मानते। डाक्टर साहब पहले आपको बोलने का समय दिया गया। लेकिन आप दूसरी ही बात करने लगे ओर उसके बाद आपके नेता को बोलने का समय दिया गया। प्लीज आप बैठें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, 1995 की बाढ़ के बाद बेरी हल्के की सड़के टूटी हैं लेकिन आज तक उनको ठीक नहीं करवाया गया है। वहां पर सड़कों पर चला नहीं जाता। (शोर एवं व्यवधान) बेरी हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप इस हाउस के चार माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी चैक करके बता देगी कि मैं सही हूं या गलत। उपाध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के के साथ भेदभव हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठिये।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मोशन मूव कर दिया है। जहां तक बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग की बात है, आपने इभ्क फरमाया कि उस मीटिंग में लीडर ऑफ दि अपोजिशन भी मौजूद थे। उस मीटिंग में यह यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि हाउस दो दिन का होगा और दो दिन के हाउस के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा लीडर ऑफ दि अपोजिशन से यह कहा था कि आप बता दें यदि आपको बिजनैस अधिक लगता है तो हाउस आगे के लिए बढ़ा दिया जायेगा लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से दो दिन के सैशन से संतुश्ट थे। उपाध्यक्ष महोदय, यूनानिमसली यह सारा काम हुआ है। यदि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो हुड्डा साहब को कहें और बी.ए.सी. की रिपोर्ट आने से पले कहना चाहिए था कि सैशन दो दिन का नही, चार दिन का होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय,

यह यूनानिमसली हुआ था, अब तो यह ध्वनि मत से पास होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है यह ठीक है। मैं तब भी इस इम्परैशन में था और अब भी हूं कि यदि ज्यादा बिजनैस होगा तो हाउस आगे बढ़ा दिया जायेगा और मैंने हाउस को अधिक दिन चलाने बारे सुझाव भी रखा था। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृपा करके सही तथ्य कहें, मिस–गाईड न करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: हुड्डा साहब, प्लीज आप यह बात अपने सदस्यों को भी समझायें।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Adisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the Table –

The Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined

Examination (Amendment) Ordinance, 2002. (Haryana Ordinance No. 2 of 2002).

Sir, I beg to relay on the Table –

The Education Department Notification No. S.O. 38/H.A. 12/1999/Ss. 8 and 24/2001, dated the 29th March 2001 regarding Haryana Aided Schools (Special Pension and Constributory Provident Fund) Rules, 2001 as required under Section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 169/H.A. 20/1973/S. 64/2001, dated the 31st October, 2001 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 9/Const./Art. 320/Amd. (1) 2002, dated the 30th May, 2002 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2002, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Animal Husbandry Department Notification No. S.O. 56/H.A. 6/2001/S. 17/2002/dated the 10th July, 2002, as required under Section 17(3) of the Hayrana Murrach Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandary and Dairy Development Sector) Act, 2001.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 58/H.A. 20/1973/ S. 64/2002, dated the 22nd July,

2002, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I beg to lay on the Table –

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 74/H.A. 20/1973. S.64/2002, dated the 17th September, 2002, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 85/C.A. 17/1998/S.12/2002, dated the 19th October, 2002, as required under Section 12(3) of the Lotteries (Regulation) Act, 1973.

The 34th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation for the year 2000-2001, as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilization Certificate and Audit Reprot of Chaudhary charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1999-2000 as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agriculture University Act, 1970.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 1998-99, 1999-2000 & 2000-01 as required under Sub-para (5) of Para II of the schedule appended with the Haryana Electricity Reforms Act, 1998.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2001-2002 in pursuance of the Provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2001-2002 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Industries Department Notification No. 2/5/2-IIB-II-99, Dated 28th May, 2001 as required under Section 7C the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial (Amendment) Act, 1998.

विशेशाधिकार मामलों के संबंध में विशेशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, MLA and Sh. Padam Singh Dahiya MLA against Sh. Jai Parkash Barwala, MLA regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the ruling of the chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Sh. Jai Parkash Barwala, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee: Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, MLA and Sh. Padam Singh Dahiya MLA against Sh. Jai Parkash Barwala, MLA regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the ruling of the chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Sh. Jai Parkash Barwala, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, MLA and Sh. Ram Kuwar Saini, MLA against Sh. Karan Sinigh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks agaisnt His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Sh. Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Sh. Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee: Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, MLA and Sh. Ram Kuwar Saini, MLA against Sh. Karan Sinigh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks agaisnt His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Sh. Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Sh. Karan Singh Dalal, MLA.

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टल अजय सिंह यादय, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम.एल.एज. के विरूद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Bhagi Ram, MLA and Sh. Pawan Kumar, MLA for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch, and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Sh. Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and

uncalled for remarks etc. in the House by Sh. Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Sh. Dharambir Singh, MLA and Sh. Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee: Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Sh. Bhagi Ram, MLA and Sh. Pawan Kumar, MLA for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch, and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Sh. Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Sh. Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Sh. Dharambir Singh, MLA and Sh. Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(iv) श्री रघुवीर सिंह कादयान एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Deputy Speaker: Now, Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Sh. Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghubir Singh Kadyan, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadyan, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee: Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by

Dr. Sita Ram, MLA and Sh. Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghubir Singh Kadyan, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadyan, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

विधान कार्य –

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Third Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ. भजन लाल (आदमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके एक अर्ज करनी है। जो बिल आज सरकार पास करवाना चाहती है वे आज ही मैम्बर्ज को मिले हैं मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप ये बिल पास ने करें। रात को सभी मैम्बर्ज इनको पढ़ लेंगे। कल आप इन पर डिस्कशन करवा लें तो ठीक रहेगा। मेरा आपको और सरकार को यही सुझाव है।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे यही अनुरोध है। इन बिलों को आज ही मैम्बर्ज को दिया गया है जबकि नियमों के मुताबिक इनको सभी मैम्बरर्ज को कम से कम 15 दिन पहले दे दिया जाना चाहिए ताकि वह इनको

पढ़कर सदन में अपने सुझाव दे सकें। ऐसी कोई बात नहीं है मैम्बर्ज रात को इनको पढ़ लेंगे और कल इस बारे में अपने अपने विचार यहां पर रख देंगे इसलिए आज पास न करें।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, सारे बिल आज ही नहीं बांटे गए हैं कुद बिल कल भी मैम्बर्ज को दिए गए थे इसलिए अब आप बैठे। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टल साहब, आप भी बैठिए।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास राज्य मंत्री जो हरियाणा म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल लाए हैं जो वैल्यूएशन और असैसमैंट के लिए सुझाव रखा है कलैक्टर रेट का जिस तरीके से यह जिक्र कर रहे हैं। जो म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है उसके बारे में मंत्री जी पिछले दो साल में कई अमैंडमैंट लाए हैं। (विघ्न)

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह): इस बिल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप बैठ जाएं।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2002 प्रस्तुत करता हूं –

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कृश्ण पाल गुज्जर (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन बिल लाया गया है इसके बारे में हमें कुछ शंकाएं हैं मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनका निराकरण करने का कश्ट करें क्योंकि हरियाणा में एक ही नगर निगम है और वहां पर पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा चुनकर आया है उसी नगर निगम के साथ सरकार ने कैसा व्यवहार किया है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): उसका इससे क्या संबंध है।

श्री उपाध्यक्ष: इस अमैंडमैंट से रिलेटेड बात आप करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप इस बिल पर बात करें।

श्री कृश्ण पाल गुज्जर (मेवला महराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बात कर रहा हूं वह धारा 8 में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है अथवा उसने सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का घोर दुरूपयोग किया है अथवा उपेक्षा अथवा कदाचार द्वारा नगर निगम के किसी धन अथवा सम्पति की हानि अथवा दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी रहा है अथवा वह सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है (विघ्न) तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा?

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): यह 1994 का उद्धरण है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाएं। इसमें भंग करने की बात नहीं है। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं आप बैठ जाएं।

कैप्टल अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः जब एक सदस्या बोल रहा है तो आप कैसे बोलेंगे। कैप्टल साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप बैइ जाइए। आपको भी मौका दिया जाएगा।

श्री कृश्ण पाल गुज्जरः उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद नगर निगम को अलौकतांत्रिक ढंग से भंग किया गया और पार्शदों को सस्पैंड किया गया। (शोर एवं विघ्न) मैं यही कह रहा हूं कि जो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा नगर निगम का चुनाव हुआ। अब नगर निगम के नुमाइंदो के खिलाफ छोटी छोटी एफ.आई.आर. लेकर सस्पैंड किया और वे हाईकोर्ट से बहाल होकर आए हैं। सरकार जब पार्शदों को नहीं तोड़ पाई तो सरकार ने नगर निगम को ही तोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्षः इस बात इस बिल से कोई संबंध नहीं है। आप बैठ जाएं।

श्री कृश्ण पाल गुज्जरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कह रहा हूं।

Mr. Deputy Speaker: Please take your seat. (Noises and Interruptions)

Question is –

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

कैप्टल अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे मैं कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप टाईटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

कैप्टल अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की क्लाज के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कैप्टन साहब, क्लाज की स्टेज तो चली गई क्या आप टाईटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

Capt. Ajay Singh Yadav: No, Sir.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

कैप्टल अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 2 में आप इनसर्ट कर रहे हैं। आपने इस बील के एक्ट्रैक्ट के बिल में यह दे रखा है कि He has flagrantly abused his position as a member or has through negligence or misconduct been responsible for the loss. आप 'नैग्लीजैंस' की परिभाशा डिटेल में हमें बतायें कि किस किस्म की नैग्लीजैंसी हो। दूसरा 'मिसकंडक्ट' के बारे में कहा है मेरा मिसकंडक्ट के बारे में में यह कहना है कि कम से कम जब यह महत्वपूर्ण बिल इस सदन में आया है और जो कारपोरेशन के सदस्य हैं उन पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं जो कारपोरेशन के मैम्बर्ज हैं उनकी पावर्ज पर एक तरह से सरकार का डण्डा लगा रहे हो जिसके तहत किसी को भी उठाकर निकाल सकते हो। मिस कंडक्ट की जो बात की गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आ पाई हैं। मिसऐप्रोप्रिएशन ऑफ फण्डज की बात तो ठीक हो सकती है। लेकिन मिसकंडक्टऔर नैग्लीजैंसी शब्द इसमें इंसर्ट करना बिल्कुल गलत है। अगर वह मिसऐप्रोप्रिएशन ऑफ फण्डज करता है कोई हेराफेरी करता है तो उसको तो निकालिए लेकिन मिसकंडक्ट और नैग्लीजैंसी की जो शब्दावली इसमें ऐड की गर्ठ है उसके आधार पर आप किसी को भी निकालकर बाहर फैंक सकते हैं उसके मैं विरूद्ध हूं। दूसरा आपने तीन दिन से लगातार एबसैंट के बारे में कहा है। अगर कोई मैम्बर बीमार हो जाये तो उसके बारे में पता होना चाहिये इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बारे में यह पता होना चाहिये कि वह किस स्थिति में एबसैंट रहा

है। इसके बारे में कहीं भी आपके इस बिल में नहीं है तीसरा सैक्शन 60 के बारे में कहा गया है He acts in contravention of the provisions of Section 60. अगर सैक्शन 60 के लिए लाना था तो इसको पढ़ने के लिए हमें यह बिल दो दिन पहले देते तो हम सैक्शन 60 को पढ़ते कि इसमें क्या है। आज सुबह आपने बिल दिया है और आज ही इस बिल को पास कर रहे हैं ऐसे बिल पास करना है तो करिये आपकी ब्रूट मैजोरिटी है। कम से कम विधान सभा इसलिए बनी है कि इसमें कोई भी बिल पास होता है तो उस पर थोरो डिसकशन होना चाहिये। आप उठाकर बिल पास कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठिये।

कैप्टल अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 60 को पढ़ने के लिए कम से कम दो दिन पहले देना चाहिये था ताकि उस पर फौरी तौर पर डिसकशन की जा सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, Please take your seat.

चौ. बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: किस चीज का जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए।

चौ. बंसीलाल: बिल हमें आज ही मिलें हैं, ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये बिल सबके रैंजीडैंस पर भेज दिए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, ये सब इनकी बहानेबाजी है, ये पढ़ते तो है नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल हमें आज 2 बजे के बाद यहां टेबल पर मिले हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्डस की छोटी–2 अमैंडमैंटस हैं, इनको तो यह यहां भी पढ़ सकते थे।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. पंजाब पेसेंजर्ज एंड गुडज टैक्सेशन (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि हरियाणा सिविल सर्विसिज (एग्जैक्टिव ब्रांच) एंड अलाइड सर्विसिज एवं अदर सर्विसिज कौमन/कंबाईड एग्जामिनेशन (अमैडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि हरियाणा सिविल सर्विसिज (एग्जैक्टिव ब्रांच) एंड अलाइड सर्विसिज एवं अदर सर्विसिज कौमन/कंबाईड एग्जामिनेशन (अमैडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(5) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): डिप्टी स्पीकर, सर, मैं हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री हाउस में बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, ववे एक लाईन पढ़ कर बैठ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जो भी बिल प्रस्तुत करें, पहले उन्हें उस बिल के आब्जैक्टस एंड रिजन्स पर हाउस को सैटीसफाई करना चाहिए। उसके बाद बिल पास करवाना चाहिए। What are the objects? What are the reasons उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री की यह डयूटी होनी चाहिए कि वह

जो भी बिल या अमैंडमैंट हाउस में रखना चाहते हैं उस पर हाउस को पहले सैटीसफाई करें। मंत्री एक लाईन पढ़कर बिल प्रस्तुत कर दे और आप उसे पास कर दें, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी जब भी किसी सम्मानित सदस्य ने बिल पर बोलने के लिए समय मांगा है उसे समय दिया गया है। प्लीज आप बैठ जायें।

श्री मांगे राम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री जी बतायेंगे नहीं कि किस लिए कोई बिल या अमैंडमैंट लाया गया है और उसके क्या आब्जैक्टस हैं तब तक मैंबरों को कैसे पता लगेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी जो भी माननीय सदस्य जब भी बोलना चाहा है उसे समय दिया गया है। प्लीज आप बैठ जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता: जब कुछ बताएंगे तभी तो कोई मैम्बर ऑब्जैक्शन देगा। कोई यह तो बताएगा कि किस लिए बिल या अमैंडमैंट लाए हैं। कोई प्रोसीजर तो एडॉप्ट करना चाहिए (विघ्न) हाउस में सरकार की यह डयूटी होनी चाहिए कि सरकार हाउस में बिल पास करवाना चाहती है उसको हाउस में बिल लाने का ऑब्जैक्ट देना चाहिए रीजन देना चाहिए और उसके बाद मैम्बर्ज से राय लेनी चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: वह बिल के साथ ही दिया होता है आप पढ़े तो सही वह साथ ही दिया होता है। (विघ्न)

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में दायर की गई उसका अध्ययन करने के बाद न केवल हरियाणा में बल्कि साथ में पंजाब और यू.टी. को भी माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इसमें एक शब्द का संशोधन हैं 'सीवरेज' की जगह 'सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट' किया है। हमारी सरकार ने माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने यमुना के साथ लगते हुए इलाके को यमुना ऐक्शन प्लान के साथ जोड़ा है (विघ्न) यह एक शब्द का संशोधन है यह हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कर रहे हैं।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(6) दि पब्लिक गैम्बलिंग (हरियाणा अमैंडमैट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister will introduce the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(7) दि हरियाणा कैसिनो (लाईसैंस एंड कंट्रोल) बिल, 2002

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बिल हाउस के सामने आने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। (विघ्न) यह कैसिनो का है। (विघ्न) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इस बिल पर आज डिसकशन नहीं होनी चाहिए। बल्कि कल डिस्कशन होनी चाहिए। (विघ्न) इस पर कम से कम सभी मैम्बर्ज को बोलने का मौका मिलना चाहिए अभी सदस्यों ने इस बिल को पढ़ा नहीं

है। (विघ्न) आप फिर यह कहेंगे कि इस बिल को पास होने दें। (विघ्न) कृपा करके आप एक मिनट हमारी बात सुन लीजिये बाद में आपने जो भी करना हो, वह कर लीजिये। यह बिल बड़ा अहम बिल है। (विघ्न) क्या आप इस बिल को कल ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं अभी ले रहे हैं।

(इस समय श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा श्री भजन लाल, कैप्टल अजय सिंह यादव, श्री जय प्रकाश बरवाला सहित भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन के बीच की ओर तेजी से बढ़े तथा इस विधेयक पर सरकार के विरूद्ध नारे लगाए। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य भी सदन के बीच पालथी मार बैठ गए। परन्तु विपक्षी सदस्यों के प्रबल विरोधी के बावजूद उपाध्यक्ष महोदय, ने विधेयक को विचार–विमर्श के लिए ले लिया)

Now, the Minister will introduce the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

राव इन्द्रजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल पर बोलना चाहत हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर खड़े होकर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान) कृपया सभी मैम्बर्ज अपनी–अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause-2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause-3 of Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Sub Clause 3 and Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-2 of Clause-36

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 of Clause 36 and Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause-1 of Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Sub-Clause 1 and Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 31st October, 2002.

18.28 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 31st October, 2002).